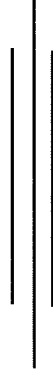




नगरपालिका निर्वाचन

मतदाता सूची तैयार करने हेतु
(रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए निर्देश पुस्तिका)



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

भोपाल

(अप्रैल 2014)

प्रस्तावना

1. प्रत्येक ऐसे व्यस्क नागरिक को जो स्थानीय निकायों के चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहता है, इसे सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। संविधान के अनुच्छेद 243यक में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है।

2. सही और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए त्रुटिरहित मतदाता सूची परम आवश्यक है। कानून के अंतर्गत जिन लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त है उन सभी लोगों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो और साथ ही ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो, जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

3. त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण निर्वाचक नामावली चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाली अनियमितताओं एवं गड़बड़ियों का प्रमुख कारण बनती है। अतः निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए निर्वाचक नामावली त्रुटिहीन होना अत्यन्त आवश्यक है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने अधिकाधिक लोगों को चुनाव में भाग लेने तथा चुनाव के दौरान अनियमितताओं को खत्म करने के लिये निर्वाचक नामावली को अद्यतन बनाना तथा पुनरीक्षण अत्यन्त आवश्यक है। इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किये जा रहे हैं।

4. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित उनके महत्वपूर्ण दायित्वों की जानकारी देने के उद्देश्य से इस पुस्तिका का पिछला संस्करण, मई-2009 में प्रकाशित किया गया था। इस बीच नगरपालिका विधि तथा निर्वाचन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। पिछले आम निर्वाचन-2009 तथा इसके बाद हुए उपचुनावों के अनुभवों को भी निर्देश पुस्तिका में शामिल किया जा रहा है।

5. आयोग द्वारा इस बात का प्रयास किया गया है कि इन निर्देशों में ऐसी आवश्यक बातें/तथ्य सम्मिलित हो जायें जिसका सम्बन्ध मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में संलग्न विभिन्न स्तर के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से होना है, तथापि सुसंगत निर्वाचन विधि तथा नियमों को भी साथ में देख लिया जाना आवश्यक है।

आर. परशुराम

राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश.



विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1	मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक तन्त्र तथा कानूनी प्रावधान	1-4
2	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये अर्हता और निरर्हता	5
3	फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करना	6-7
4	मतदाता सूची के निरीक्षण की व्यवस्था और उसका प्रकाशन	8-11
5	दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना	12-13
6	कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही करना।	14-17
7	दावों और आपत्तियों की जांच और उनका निपटारा	18-19
8	अंतिम मतदाता सूची तैयार करना और उसका प्रकाशन	20-21
9	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील	22
10	विविध	23

परिशिष्ट

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
एक	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में मतदाताओं की अर्हता / निरर्हता संबंधी कानूनी प्रावधान तथा मामूली तौर पर निवासी का अर्थ।	24-28
दो	मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित उद्धरण	29-32
तीन	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी की नियुक्ति संबंधी।	33
चार	आधार पत्रक भाग-एक, भाग-दो	34-35
पांच	मतदाता सूची का विवरण (गोशवारा)	36
छः	मतदाता सूची	37
सात	प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप	38-39
आठ	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति	40

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
नौ	मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन की सूचना	41
(दस) प्ररूप-क	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये दावा-आवेदन	42-44
(ग्यारह) प्ररूप-ख	मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि पर आपत्ति	45-46
(बारह) प्ररूप-ग	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति	47-49
तेरह	दावे, आपत्तियों का दैनिक विवरण	50
चौदह	मतदाता सूची से नाम हटाया जाना	51
पन्द्रह	मतदाता सूची में नाम शामिल करना	52
सोलह	दावे और आपत्तियों का प्रकरण रजिस्टर	53
सत्रह	आक्षेपित व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना का प्ररूप	54-55
अठारह	अनुपूरक मतदाता सूची	56
उन्नीस	मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना	57
बीस (प्ररूप-घ)	रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील	58-59
इक्कीस	अपील प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाने वाली सूचना का प्ररूप	60
परिपत्र		
1	मतदाता सूचियों का निरीक्षण, प्रमाणित प्रतिलिपि का प्रदाय तथा विक्रय	61-62
2	मतदाता सूची की तैयारी के नवीन निर्देश	63-65
3	मतदाता सूची एजेन्टों की नियुक्ति के संबंध में	66-67
4	प्रारूप मतदाता सूचियों पर स्वप्रेरणा से संशोधन की कार्यवाही बाबत्	68
प्ररूप		
1	मतदाता सूची एजेन्ट नियुक्ति हेतु	69
2	मतदाता सूची एजेन्ट नियुक्त किये जाने की जानकारी हेतु प्रपत्र	70
3	मृत मतदाताओं की जानकारी बाबत्	71
4	मतदाताओं के अन्यत्र चले जाने की जानकारी बाबत्	72
5	फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी के लिये चेक लिस्ट	73-78

अध्याय-1

मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक तन्त्र तथा कानूनी प्रावधान

1. प्रशासनिक तन्त्र :

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 2 (ग) में, प्रत्येक जिले में नगरपालिकाओं की मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचनों का संचालन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, कलेक्टर को पदेन जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के रूप में नियुक्त किया गया है।

आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है। उसके नियंत्रण और सर्वोपरि भूमिका के अन्तर्गत प्रत्येक नगरपालिका की मतदाता सूची, वार्डवार तैयार करने, उसे प्रकाशित करने, उसके सम्बन्ध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने और उनका निपटारा करके सूची को अन्तिम रूप देने का दायित्व, ऐसे नगरपालिका के लिए नियुक्त किए गए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का है।

(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-2 (ट) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए प्रत्येक नगरपालिका में, वार्डों की संख्या के अनुसार, एक या अधिक, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी नियुक्त किये जाते हैं। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की समस्त शक्तियों का उपयोग कर सकता है। विभिन्न स्तर के राजस्व अधिकारियों को ही सामान्यतया रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में सम्बन्धित नगरपालिका का सम्पूर्ण क्षेत्र रहता है और वह सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन देने तथा उनके कार्य के पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा करने के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रमुख कर्तव्य निम्नांकित हैं:—

- (i) फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करना और उसके प्रारंभिक प्रकाशन के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार करना।
- (ii) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देना और उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना।
- (iii) मतदाता सूची का आम नागरिकों द्वारा निरीक्षण करने तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के उपयुक्त स्थानों (केन्द्रों) का निर्धारण करना और वहां पर आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था करना।
- (iv) निर्धारित केन्द्रों (स्थानों) पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों का चयन करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और उन्हें आवश्यक प्ररूप (फार्म) तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
- (v) कन्ट्रोल टेबिल को तैयार करने हेतु सर्वप्रथम विधान सभा की अद्यतन मतदाता सूची को आधार बनाकर आधार पत्रक तैयार कर मतदाताओं को वार्ड अनुसार अंतर्गत करने के उपरान्त उक्त की पांडुलिपि वेण्डर को उपलब्ध करवाना तथा वेण्डर से प्राप्त ड्राफ्ट की प्रूफ रीडिंग करना।

(vi) वार्ड का नजरी नक्शा तैयार करना।

(vii) राज्य स्तरीय एजेन्सी द्वारा चयनित वेण्डर के लिये यथोचित बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार अधोसंरचना उपलब्ध कराना।

(viii) दावों तथा आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त मतदाता सूची को अंतिम रूप देना; उसके मुद्रण में “प्रूफ रीडिंग” की व्यवस्था करना तथा मुद्रण के उपरान्त सूची का अंतिम प्रकाशन करना।

(ix) अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का सशुल्क निरीक्षण करने या उसके किसी अंश की प्रमाणित प्रति प्रदाय करने तथा सूची के विक्रय की व्यवस्था करना।

(x) अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची, सभी कागज-पत्रों सहित (जिसमें प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावों और आपत्तियों से संबंधित प्रकरण और उनमें पारित आदेश इत्यादि सम्मिलित हैं) जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपील प्राधिकारी के रूप में अभिहित अधिकारी को अपील कर सकता है। अपील प्राधिकारी की नियुक्ति मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 2(ख) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है।

2. कानूनी प्रावधान :

(1) **अधिनियम**.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मतदाताओं की अर्हता या निरर्हता तथा मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) में नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में जो प्रावधान हैं, उनका उद्धरण **परिशिष्ट-एक** पर है।

(2) **नियम**.—उपरोक्त दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गये “निर्वाचन नियम” साझे स्वरूप के (Common) हैं तथा “मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994” कहलाते हैं। इन नियमों के अन्तर्गत मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित प्रावधान **परिशिष्ट-दो** पर उद्धृत हैं।

3. पदाभिहित अधिकारी :

राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिन अधिकारियों को विभिन्न स्तरों की नगरपालिकाओं के लिये नियम 2(ट) के अंतर्गत, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और नियम 2(ख) के अंतर्गत अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है, उनका विवरण **परिशिष्ट-तीन** पर है।

4. प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति /प्रशिक्षण एवं दायित्व :

मतदाता सूची किसी भी निर्वाचन का आधार होती है। सूची जितनी परिपूर्ण और सही होगी चुनाव उतने ही साफ-सुथरे होंगे। अतः यह आवश्यक है कि मतदाता सूची में यथासम्भव ऐसे सभी लोगों के नाम सम्मिलित हों जिन्हें कानूनन मतदान का अधिकार प्राप्त है और साथ ही ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

नगरपालिका निर्वाचन के लिए, मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जाती है। यह सूची विधान सभा की प्रचलित मतदाता सूची (अर्थात् अद्यतन सूची) पर आधारित रहती है। इस हेतु प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की मतदाता सूची को वार्डवार

छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके पहले प्रारूप सूची या प्रारम्भिक सूची बनाई जाती है। तत्पश्चात् निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड से संबंधित प्रारूप सूची को, कम से कम 7 दिन तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/संबंधित नगरपालिका के कार्यालय/उप कार्यालय एवं कतिपय अन्य स्थानों (केन्द्रों पर) आम लोगों के निरीक्षण और उसके संबंध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये रखा जाता है। निर्धारित अवधि के दौरान उक्त सभी स्थानों पर, मतदाता सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने के लिए तथा उसमें नए नाम जोड़े जाने या सम्मिलित गलत नाम हटाए जाने या किसी अशुद्धि या त्रुटि को सुधारे जाने के संबंध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है, जिसे “प्राधिकृत कर्मचारी” कहा जाता है। प्राधिकृत कर्मचारी सामान्यतः निर्वाचक नामावली के एक भाग के लिए जिम्मेदार होता है। और प्राधिकृत कर्मचारी संबंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण निर्देशन और पर्यवेक्षण में कार्य करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी को पूर्वानुमति के बिना उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।

नगरपालिका क्षेत्र के ऐसे ही एक केन्द्र पर जहां कि प्रारूप मतदाता सूची का निरीक्षण कराया जाएगा और दावे और आपत्तियां प्राप्त की जावेंगी, इसके लिये “प्राधिकृत कर्मचारी” को नियुक्त किया जाता है। उसका चयन इस बात का सूचक है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन ने उनकी क्षमता पर भरोसा किया है, अतः उनसे यह अपेक्षित है कि इस भरोसे के अनुरूप अपना कार्य पूरी सावधानी और निष्ठा से संपन्न करें।

प्रारूप मतदाता सूची का आम लोगों द्वारा निरीक्षण किये जाने और दावे तथा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये नियमों में न्यूनतम 7 दिन का समय निर्धारित है। इस अवधि के दौरान प्राधिकृत कर्मचारी की प्रत्येक कार्यकारी दिन उस केन्द्र (स्थान) पर, जहां कि ड्यूटी लगायी है, दिन भर (अर्थात् प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक) तथा अंतिम दिनांक को 3 बजे तक उपलब्ध रहना होगा। ऐसा करने में किसी प्रकार की लापरवाही को एक गंभीर कदाचरण माना जायेगा।

जिस तारीख को प्रारूप मतदाता सूचियों का सार्वजनिक प्रकाशन होगा अर्थात् जिस दिन से उनका आम लोगों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, उसके पहले ही प्राधिकृत कर्मचारी को संबंधित वार्डों की प्रारूप मतदाता सूचियों की प्रतियां उपलब्ध करा दी जायेंगी। ऐसी तारीख के लगभग एक सप्ताह पूर्व प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति का आदेश भी सीधे या विभागीय नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा। नियुक्ति आदेश में इस बात का उल्लेख रहेगा कि आवश्यक सामग्री प्राप्त करने तथा प्रशिक्षण के लिये कब और किस स्थान पर उपस्थित होना है। तदनुसार प्रशिक्षण, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिया जायेगा और लगभग 3 घण्टे तक चलेगा। उक्त प्रशिक्षण में सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को पूर्णतः बताया जावेगा। प्रशिक्षण सत्र में संबंधित नगरपालिका लिए नियुक्त सभी प्राधिकृत कर्मचारी भाग लेंगे।

प्रशिक्षण में प्राधिकृत कर्मचारी के कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी। तथा शंकाओं के निवारणार्थ किसी भी बिन्दु पर प्रश्न पूछने का पूरा अवसर दिया जाएगा। यह भी समझाया जायेगा कि दावे और आपत्तियों के लिए निर्धारित प्रारूपों (फार्म्स) को कैसे भरा जाना है और उनके संबंध में की जाने वाली प्रारंभिक जांच या पूछ-ताछ में किन-किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना है। इस प्रशिक्षण को प्राधिकृत कर्मचारी जितनी गम्भीरता से लेंगे उतना ही यह इनके हित में होगा क्योंकि बाद में मौके पर मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा तथा हर प्रकार की स्थिति का सामना स्वयं ही करना पड़ेगा।

प्रशिक्षण सत्र में आपको निम्नांकित सामग्री प्रदाय की जायेगी:—

1. प्रभार के प्रत्येक वार्ड की प्रारूप मतदाता सूची की एक प्रति,
2. दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 3 किस्म के प्रारूप (फॉर्म) (आवश्यक संख्या में),
3. प्राप्त दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण फार्म (आवश्यक संख्या में),

प्रदाय की गई उपरोक्त सामग्री की सुरक्षा और देखभाल के लिए प्राधिकृत कर्मचारी पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

दिये जाने वाले दावा फार्मों (प्ररूप-क) की संख्या, वार्ड की प्रारूप मतदाता सूची में अंकित कुल मतदाताओं की संख्या की लगभग 2 प्रतिशत रहेगी, जबकि आपत्ति फार्मों (प्ररूप-ख तथा प्रारूप-ग) की संख्या लगभग 1 प्रतिशत रहेगी। प्राप्त “दावे और आपत्तियों को दैनिक विवरण” तैयार करने के लिए प्रदाय किये जाने वाले फार्मों की संख्या, 3 फार्म प्रतिदिन के मान से उतने दिनों के लिये होगी जितने दिनों तक मतदाता सूची को दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये खुला रखा जायेगा। साथ ही कोरे कागज की 2 शीटें भी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि को विशेष सूचना या रिपोर्ट भेजने के लिए प्रदाय की जायेंगी।

प्राधिकृत कर्मचारियों के कर्तव्य एवं दायित्व :

प्राधिकृत कर्मचारी उसे आवंटित किये गये निर्वाचक नामावली के भाग की भली-भांति अध्ययन करेंगे। वह संबंधित नगरीय क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर स्थानीय लोगों को विशेष कर बुजुर्गों एवं निर्वाचन स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करेंगे तथा मृत/शिफटेड/डुप्लीकेट मतदाताओं के उन नामों को चिन्हित करेंगे, जिन्हें सुसंगत प्रावधानों के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा हटाने की आवश्यकता है। प्राधिकृत कर्मचारी के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं:—

- दावों एवं आपत्तियों को प्राप्त करना।
- परिवर्धन और अपमार्जन त्रुटियों की जांच।
- शिफटेड मृत एवं अस्तित्वविहीन मतदाताओं की पहचान करना।
- निर्वाचक नामावली में वर्तनी, दोहरे नाम की प्रविष्टि, नामावली के हेडर पेज, फोटो आदि की जांच।
- मतदाताओं के फोटो प्राप्त करना।
- मतदाताओं के मोबाईल नम्बर प्राप्त करना। (वैकल्पिक)
- जिन लोगों के नाम हटाए जाने हैं, उन्हें नोटिस जारी करने के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- पदाविहित स्थानों पर नामावली के आलेख्य/निर्धारित नोटिसों को प्रदर्शित करना।
- ई.वी.एम. के विषयक जन जागरण करने हेतु प्रचार प्रसार।
- भाग में आने वाले भवनों को सही प्रकार से क्रमबद्ध किया जाना तथा अनुभागों की शुद्ध क्रमबद्धता।
- राजनैतिक दलों के प्राधिकृत कर्मचारियों के साथ समन्वय रखना।
- प्राप्त प्रपत्रों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना।
- पंजीकरण के समय मतदाता को निर्वाचन संबंधी सामान्य जानकारी देना।
- चुनाव के पहले मतदाता पर्ची का वितरण।
- सामान्य भौगोलिक चौहद्दी के साथ नजरी नक्शा तैयार करना जिससे विशेष रूप से नई विकसित कालोनियों की ओवर लैपिंग न होने पाये।

अध्याय-2

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये अर्हता और निरर्हता

(i) प्रत्येक नगरपालिका के लिये मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जाएगी।

(ii) मतदाता सूची तैयार करने के लिये अर्हकारी तारीख (Qualifying date) उस वर्ष की पहली जनवरी होगी, जिस वर्ष में उसे तैयार किया जाए।

(iii) मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये अर्हता.—कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिए हकदार होगा, यदि वह—

- (क) अर्हकारी तारीख को (अर्थात् उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन) 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है,
- (ख) उस नगरपालिका के क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी (सामान्यतः निवासी) है, और
- (ग) विधान सभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उक्त वार्ड से संबंधित हो) नाम दर्ज किए जाने के लिये अन्यथा अर्हित है।

(iv) मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये निरर्हता.—कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य (निरर्हित) होगा यदि वह—

- (क) भारत का नागरिक नहीं है, या
- (ख) पागल (विकृत चित्त का) है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है, या
- (ग) प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष-सिद्धि के समय पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या
- (घ) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है।
- (ङ) जो फिलहाल चुनाव के संबंध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत मतदान करने के लिये अयोग्य है।

(v) किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात् निरर्हित हो जाता है, नाम उस मतदाता सूची में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगा :

परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि निरर्हता के कारण मतदाता सूची में से काटा गया है, उस सूची में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता समाप्त हो जाए या विधिवत हटा दी गई हो।

अध्याय-3

फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करना

नगरपालिका निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करना

नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगरपरिषद् के साधारण निर्वाचन (आम निर्वाचन) के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करना.

नगरपालिका निर्वाचन के लिये मतदाता सूची विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली (अर्थात् तत्समय प्रभावशील निर्वाचक नामावली) के आधार पर वार्डवार तैयार की जाएगी। इस हेतु उप-जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस विधान सभा क्षेत्र की जिसके अन्तर्गत नगरपालिका का क्षेत्र आता है, प्रचलित निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां जिला कार्यालय की सामान्य निर्वाचन शाखा से प्राप्त की जाएं और उन्हें नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। निर्वाचक नामावली की प्रतियां रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजने के पूर्व इस बात की सावधानी से जांच कर ली जाए कि वे पूर्ण हैं और उनके प्रत्येक भाग-अनुक्रमांक के साथ अनुपूरक सूची संलग्न है और यह अद्यतन है।

उक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नगरपालिका की वार्डवार मतदाता सूचियां अपने सहयोगी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और संबंधित नगरपालिका के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी की सहायता से, अपने कार्यालय में, निम्नानुसार तैयार की जाएं :—

(i) विधान सभा की निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग अनुक्रमांक में सम्मिलित मकानों की अवस्थिति के अनुसार उनके समक्ष हाथ से उस वार्ड का क्रमांक (नम्बर) लिखा जाए जिसके अन्तर्गत वे मकान आते हैं।

(ii) तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के लिये, उसके अन्तर्गत आने वाले मकानों और उनमें रहने वाले मतदाताओं की संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाले एक “ आधार पत्रक ” परिशिष्ट-चार (भाग-1) के अनुसार तैयार किया जाए, यह आवश्यक नहीं है कि निर्वाचक नामावली के किसी भाग-अनुक्रमांक में सम्मिलित सभी मकान (तथा मतदाता) एक वार्ड के अन्तर्गत आएँ। उनमें से कुछ एक वार्ड और कुछ दूसरे वार्ड में हो सकते हैं। परन्तु किसी भी भाग अनुक्रमांक में सम्मिलित मकान (तथा मतदाता) नगरपालिका के किसी न किसी वार्ड में आवश्यक ही परिलक्षित होने चाहिए।

(iii) उपरोक्तानुसार तैयार किये गये आधार-पत्र का मौके पर जाकर नजरी नक्शा तीन प्रतियों में तैयार कर लिया जावे, तथा वार्ड की अधिसूचित सीमाओं के साथ मिलान किया जाए। ऐसा करना इसलिये आवश्यक है ताकि किसी वार्ड की अधिसूचित सीमा के अंदर स्थिति कोई भी मकान/आवास स्थान उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित होने से रह न जाए और न ही उसमें ऐसा कोई मकान/आवास स्थान सम्मिलित होने पाए जो वस्तुतः उस वार्ड की अधिसूचित सीमा के अन्तर्गत न होकर, उसके बाहर (अर्थात् किसी अन्य वार्ड में) स्थित है। मिलान का यह कार्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के नेतृत्व में गठित, राजस्व विभाग और नगरपालिका कर्मचारियों के संयुक्त दलों से कराया जाए। मिलान में कोई गलती पाई जाने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वार्ड की मतदाता सूची को तदनुसार सुधार लिया जाए। साथ ही नगरीय निकायों की निकायवार मतदाता सूची तैयार किये जाने हेतु वार्डवार जानकारी एस.एल.ए. (राज्य स्तरीय एजेन्सी) द्वारा उपलब्ध प्रपत्र में जानकारी तैयार की जाये।

(iv) नजरी नक्शे को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाकर राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) के वेण्डर को सौंपा जाएगा।

(2) **मतदाता सूची को भागों में बांटना.**—यदि नगरपालिका बड़े आकार की हो तो यह स्वाभाविक है कि उसके प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक होगी। ऐसे वार्डों की मतदाता सूची को, जिसमें मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक है, कार्य संचालन की सुविधा की दृष्टि से एक से अधिक भागों में बांटा जाए और प्रत्येक भाग को एक भाग क्रमांक (पार्ट-नम्बर) आवंटित किया जाए। यदि वार्ड की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 1000 से 2000 के बीच हो तो उसे दो भागों में, 2000 से 3000 के बीच हो तो तीन भागों आदि में बांटा जाए। मतदाता सूची को 1000 मतदाताओं तक के छोटे भागों में बांटने के पीछे उद्देश्य यह है कि सूची में सम्मिलित किसी मतदाता का नाम आसानी से खोजा जा सके और प्रत्येक भाग में सम्मिलित सभी मतदाताओं को एक ही मतदान केन्द्र से सम्बद्ध कर मतदान कार्य सुविधाजनक ढंग से सम्पन्न कराया जा सके।

वार्ड की मतदाता सूची को भागों में बांटते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसे प्रत्येक भाग को, मौके पर सहज दृश्य सीमा चिन्हों—जैसे की सड़क, गली, नाला आदि से आसानी से विभेदित किया जा सके, आसानी से चिन्हित किये जा सकने वाले क्षेत्रों के आधार पर ही वार्ड की मतदाता सूची को भागों में विभक्त किया जाय। सूची को भागों में बांटते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि वार्ड के विभिन्न भागों के अन्तर्गत आने वाले मतदाताओं की संख्या में बहुत अधिक अन्तर न हो। सामान्यतः यह अन्तर 10 प्रतिशत के अन्दर होना चाहिए। वार्ड की मतदाता सूची को भागों में बांटे जाने पर प्रत्येक भाग को एक पृथक् भाग क्रमांक (पार्ट-नम्बर) आवंटित किया जाय। प्रथम भाग को “भाग क्रमांक-1” दूसरे भाग को “भाग क्रमांक-2” आदि क्रमांक (नम्बर) दिये जाएं। यदि वार्ड में मतदाताओं की संख्या 1000 से कम हो (जैसा कि नगर परिषदों तथा छोटी नगरपालिका परिषदों में होता है) तो वार्ड की मतदाता सूची को भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है तत्पश्चात् आधार-पत्रक (के भाग-1) के आधार पर विभिन्न वार्डों के भाग और उनके अन्तर्गत आने वाले मकानों के नम्बर और उनमें रहने वाले मतदाताओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण, परिशिष्ट-चार के भाग-2 में तैयार किया जाए, तथा इसकी एक सत्यापित प्रति राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) के वेण्डर को दी जावे। कार्यवाही की अगली कड़ी में मतदाता सूची की पाण्डुलिपि इसी के आधार पर तैयार की जायेगी।

(3) **मतदाता सूची का मुद्रण.**—विभिन्न प्रयोजनों के लिये मतदाता सूची की निम्नांकित प्रतियों की आवश्यकता अनुमानित है:—

(1) नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के मामले में 10+1

नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार किया जाने के कार्य हेतु नियुक्त राज्य स्तरीय एजेंसी (म.प्र. इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड भोपाल) द्वारा मतदाता सूची के मुद्रण हेतु निविदाएं आमंत्रित कर मतदाता सूची के मुद्रण हेतु वेण्डर नियुक्त किये जायेंगे। जिले के लिए चयनित वेण्डर द्वारा विधानसभा की निर्वाचक नामावली के आधार पर तैयार प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण किया जायेगा।

सूची के पहले पृष्ठ को छोड़कर जिस पर केवल सार-विवरण (गोशवारा) मुद्रित रहेगा, बाद के प्रत्येक पृष्ठ में लगभग 30 मतदाताओं के नाम मुद्रित किए जाने चाहिए, अतएव यदि किसी वार्ड (या उसके किसी भाग क्रमांक) में लगभग 1000 मतदाता हों तो मुद्रित सूची लगभग 33 या 34 पृष्ठों की होगी।

मुद्रण के समय प्रथम प्रति की सावधानी से “प्रूफ रीडिंग” आवश्यक है। “प्रूफ रीडिंग” का दायित्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होगा। इसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं या किसी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की व्यक्तिगत निगरानी में कुछ चुनिदा कर्मचारियों (जैसे कि पटवारियों) से कराया जाए ताकि सूची में कोई गलती—जैसे कि किसी मतदाता का नाम छूट जाना या किसी कटे हुए नाम का मुद्रित हो जाना आदि, न रहने पाए।

अध्याय-4

मतदाता सूची के निरीक्षण की व्यवस्था और उसका प्रकाशन

1. मतदाता सूची के निरीक्षण तथा दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिये स्थानों (केन्द्रों) का निर्धारण:

नगरपालिका की मतदाता सूची सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिये निम्नांकित स्थानों (केन्द्रों) पर उपलब्ध कराई जाए और ऐसे स्थानों पर दावे या आपत्तियां प्राप्त करने की व्यवस्था भी की जाए :—

- (1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय,
- (2) प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय, तथा
- (3) संबंधित नगरपालिका का कार्यालय और यदि नगर में उसका कोई उप कार्यालय हो तो ऐसा कार्यालय,
- (4) अन्य स्थान :—

(क) नगरपरिषदों तथा ऐसी नगरपालिका परिषदों के मामले में जिनमें वार्डों की संख्या 20 तक हों.—मतदाता सूची के निरीक्षण के लिए उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि नगर की बस्तियां दूर-दूर तक फैली हों तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने विवेक से केन्द्रीय अवस्थिति वाले एक या दो अतिरिक्त स्थानों पर भी मतदाता सूची के निरीक्षण और उसके संबंध में दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने की व्यवस्था की जा सकती है।

(ख) 20 से अधिक वार्डों वाली नगरपालिका परिषदों के मामले में 2 या 3 वार्डों के बीच में एक अतिरिक्त स्थान पर, तथा

(ग) नगर निगमों के मामले में प्रत्येक वार्ड में एक स्थान पर.

ऐसे अतिरिक्त स्थानों का चयन करते समय प्रशासनिक सुविधा के बजाय सार्वजनिक सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए. चयनित भवन ऐसा कोई भी सार्वजनिक भवन हो सकता है, जिसमें सामान्यतया निर्वाचन के समय मतदान केन्द्र रहता है, जैसे कि :—

- (i) राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम का कोई कार्यालय
- (ii) कोई शासकीय महाविद्यालय/विद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र
- (iii) शासन से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी भी संस्था द्वारा संचालित कोई संस्थान/केन्द्र/विद्यालय

पार्षद के उप-निर्वाचन के मामले में विशेष उपबन्ध.—पार्षद के किसी उप-निर्वाचन के ठीक पूर्व मतदाता सूची के निरीक्षण और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये व्यवस्था केवल निम्नांकित स्थानों (केन्द्रों) पर की जाए :—

- (i) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

(ii) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

(iii) संबंधित नगरपालिका का कार्यालय, तथा

(iv) 20 से अधिक वार्डों वाली नगरपालिका परिषद् एवं नगर निगम के मामले में, संबंधित वार्ड जिसमें कि पार्षद का स्थान रिक्त है, में केन्द्रीय अवस्थिति वाला कोई मतदान केन्द्र भवन।

2. प्रचार-प्रसार :

(1) उन स्थानों का जहां सार्वजनिक निरीक्षण के लिये मतदाता सूचियां या उनके सम्बद्ध भाग रखे जाने प्रस्तावित हों, व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, (1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की नगर स्थित इकाई और यदि नगर में कोई इकाई न हो तो जिला इकाई को, (2) संबंधित नगरपालिका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य को तथा (3) नगरपालिका के अध्यक्ष/महापौर और प्रत्येक पार्षद को उन स्थानों की जानकारी, जहां पर मतदाता सूची निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी, सूची के प्रकाशन की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व लिखित में भेजी जाए। स्थानीय समाचार पत्रों तथा क्षेत्रीय आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों को भी इस संबंध में विज्ञप्तियां भेजी जाएं। इसके अतिरिक्त निम्नांकित उपाय भी अपनाए जा सकते हैं :—

(i) नगर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, जैसे कि बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, अस्पताल, उचित मूल्य की दूकान, डेयरी, प्रमुख शासकीय कार्यालयों एवं शासन के उपक्रमों/सहकारी संस्थाओं में पोस्टर लगाना।

(ii) सिनेमा हॉलों में स्लाइड्स का प्रदर्शन।

(2) मतदाता सूची तैयार हो जाने पर और हर हालत में उसके प्रारंभिक प्रकाशन के लिये निर्धारित तारीख के पूर्व, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की नगर स्थित इकाई को, और यदि नगर में ऐसी इकाई न हो तो जिला स्थित इकाई को, लिखित में इस आशय की सूचना भेजी जाए कि वे अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदाता सूची की एक प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में निम्नांकित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं :—

(i) राष्ट्रीय दल:

(1) बहुजन समाज पार्टी, (2) भारतीय जनता पार्टी, (3) कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया, (4) कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी पार्टी), (5) इंडियन नेशनल कांग्रेस, (6) नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी,

दावे आपत्ति के लिये तथा मतदाता सूची को निःशुल्क उपलब्ध कराने के उपरान्त उक्त की पावती संभाल कर रखी जावे तथा निर्वाचन नामावली प्रेक्षक को उक्त का अवलोकन कराया जावे।

3. प्रशासनिक व्यवस्था :

(1) मतदाता सूची के निरीक्षण के लिये जो स्थान निर्धारित किए जाएं उनमें प्रत्येक में एक कर्मचारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है। सूची का निरीक्षण कराने तथा दावे आपत्तियां प्राप्त करने के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपयुक्त कर्मचारियों का चयन मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही कर लिया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारी सामान्यतया राजस्व निरीक्षक, नजूल सर्वेयर, खाद्य निरीक्षक, सहकारिता आवश्यक संख्या में उपलब्ध न हों तो तृतीय श्रेणी के अन्य वरिष्ठ कर्मचारी (जैसे कि लेखापाल, उच्च श्रेणी लिपिक आदि) अथवा शिक्षकों का चयन किया जा सकता है। चयनित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश **परिशिष्ट-सात** में दिये गये प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जाए। परन्तु आदेश जारी करने के पूर्व चयनित कर्मचारियों की सूची का अनुमोदन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर से प्राप्त कर लिया जाए।

जहां तक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का प्रश्न है, सामान्यतया 3 प्राधिकृत कर्मचारियों के ऊपर (अर्थात् निरीक्षण के लिये निर्धारित 3 केन्द्रों के ऊपर) एक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को स्वयं अपने कार्यालय में स्थापित केन्द्र सहित, एक या दो और केन्द्रों का प्रभार सीधे अपने पास रखना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्पर्क साधकर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश, सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रसारित करा लेने चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, उनके नियुक्ति आदेश **परिशिष्ट-आठ** में दिये गये प्ररूप में प्रसारित किए जाएं।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के पूर्व किसी एक दिन समस्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा निर्धारित स्थानों (केन्द्रों) पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों को अपने कार्यालय अथवा तहसील मुख्यालय में बुलाकर उनके प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उनकी शंकाओं/पृच्छाओं का पूरी तरह समाधान किया जाए। उन्हें मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आयोग द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिका तथा मतदाता सूची की एक-एक प्रति सहित अन्य समस्त सामग्री का प्रदाय भी उसी दिन किया जा सकता है।

(3) जिस स्थान (केन्द्र) में प्राधिकृत कर्मचारियों को कार्य करना है, उसका रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को स्वयं निरीक्षण करके, वहां बैठने और कार्य करने के लिये समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

(4) प्रकाशित सूची की सुरक्षा और देखभाल का उत्तरदायित्व निरीक्षण के स्थान पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी का होगा और वह दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित अवधि के दौरान वहां पर निरन्तर उपस्थित रहेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सूची के निरीक्षण और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्थानों (केन्द्रों) का निरन्तर निरीक्षण किया जाए और यदि वहां कार्य संचालन में किसी कठिनाई का अनुभव किया जा रहा हो तो उसे तत्परता से दूर किया जाए।

(6) दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्थान (केन्द्र) में मतदाता सूची के निरीक्षण हेतु आने वाले लोगों के बैठने के लिये एक बेंच या 2 या 3 कुर्सियों की व्यवस्था की जाए तथा सूची, वहीं पर एक मेज पर रखी जाए। कमरे के बाहर एक नोटिस बोर्ड भी लगाया जाए, प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे तथा आपत्ति के प्ररूपों (फार्मों) के एक-एक नमूने अपने कक्ष में किसी सहज दृश्य स्थान पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किए जाएं।

(7) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों को दावे तथा आपत्तियों से संबंधित कार्य सम्पादन के लिए निम्नांकित सामग्री उपलब्ध कराई जानी होगी. अतएव इनकी पहले से व्यवस्था कर ली जाए :—

(i) दावे तथा आपत्तियों के निर्धारित प्ररूप (फार्म)–क, ख तथा ग (परिशिष्ट–दस, ग्यारह एवं बारह)।

(ii) दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण (परिशिष्ट–तेरह)।

(iii) बालप्वाइन्टपेन।

(iv) स्टाम्पपैड।

(8) प्रत्येक प्राधिकृत कर्मचारी उस सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से सम्बद्ध रहेगा जिसकी अधिकारिता क्षेत्र के वार्ड में उसे नियुक्त किया गया है और उसी के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

4. मतदाता सूची का प्रकाशन :

उस तारीख को, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की गई हो, मतदाता सूची आम लोगों के निरीक्षण के लिये प्रकाशित कर दी जाए. इस हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर **परिशिष्ट–नौ** में दिये गये प्ररूप में एक नोटिस लगाया जाए और उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाए।

दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना

(1) मतदाता सूची के निरीक्षण के लिये निर्धारित स्थान पर तैनात, प्राधिकृत कर्मचारी को दावे या आपत्तियां प्रत्येक कार्यकारी दिन कार्यालय समय के दौरान कभी भी, परन्तु अंतिम दिन 3.00 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यदि कोई मतदाता चाहे तो सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है या डाक से भेज सकता है।

(2) प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा दावे, आपत्ति या प्रविष्टियों के संशोधन के लिये निर्धारित प्ररूप (फार्म) मांगे जाने पर तत्परता से प्रदाय किया जाए।

(3) सामान्यतया व्यक्तिशः प्रस्तुत आवेदन-पत्र ही स्वीकार किये जाएं, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों से संबंधित आवेदन पत्र परिवार का कोई सदस्य इकट्ठा प्रस्तुत करे तो उन्हें ग्रहण कर लिया जाए। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो) दावे और आपत्तियां थोक में प्रस्तुत की जाएं तो उन्हें ग्रहण न किया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाए कि वह संबंधित व्यक्तियों से अलग-अलग आवेदन पत्र दिलाए, क्योंकि आवेदकों के दावों और आपत्तियों पर जांच के सिलसिले में उनसे अलग-अलग पूछ-ताछ की जानी होगी।

(4) दावे तथा आपत्तियां निम्नांकित प्रकार की हो सकती हैं :—

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित न होना, नाम गलत स्थान पर या अशुद्ध विविष्टियों के साथ उल्लिखित होना तथा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना, जो पात्र नहीं है।

आयोग द्वारा विहित प्ररूप (फार्म) में प्रस्तुत किये गये दावे और आपत्तियां ही स्वीकार किये जा सकते हैं किसी अन्य प्रकार के प्ररूप में नहीं। दावे तथा आपत्तियां छपे हुए प्ररूप में ही प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। वे प्ररूप की फोटो कापी, टंकित या चक्रमुद्रित प्रति या हस्तलिखित प्रति में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आयोग द्वारा विहित प्ररूप निम्नांकित हैं :—

(I) **दावा.**—दावा केवल मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जा सकता है। दावा परिशिष्ट-दस में उद्धृत “प्ररूप-क” में किया जायेगा। दावे के समर्थन में संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किसी मतदाता के प्रतिहस्ताक्षर होना जरूरी है।

यदि कोई मतदाता अपना नाम मतदाता सूची के एक स्थान से दूसरे स्थान में अंतरित करना चाहता हो तो उसके द्वारा भी इसी प्ररूप में दावा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(II) **आपत्तियां.**—आपत्तियां दो प्रकार की हो सकती हैं, अर्थात् :—

(i) **मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के व्यौरे** (जैसे मकान नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, आयु) के संबंध में त्रुटि पर आपत्ति.—ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वह प्रविष्टि संबंधित है और वह परिशिष्ट-ग्यारह में उद्धृत “प्ररूप-ख” में की जायेगी।

(ii) **मतदाता सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपत्ति.**—ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जा सकती है और वह “प्ररूप-ग” में जो कि परिशिष्ट-बारह में उद्धृत है, प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रकार की आपत्ति के समर्थन में संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किसी अन्य मतदाता के प्रतिहस्ताक्षर होना जरूरी है।

(5) प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रत्येक दावे तथा आपत्ति के संबंध में दावेदार या आपत्तिकर्ता को संगत प्ररूप के अंत में लगी हुई “आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना” हाथों-हाथ दी जाए। इसमें सुनवाई के लिये वह तारीख अंकित की जाए जो दावा या आपत्ति प्रस्तुत किये जाने की तारीख के ठीक 3 दिन बाद पड़ने वाला कार्यकारी दिवस हो। साथ ही, दावेदार या आपत्तिकर्ता से, प्ररूप में ही मुद्रित पावती पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाएं या अंगूठे का निशान लगवा लिया जाए।

(6) प्राधिकृत कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि यदि दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति प्ररूप (फार्म) भरने में कोई सहायता चाहे तो उसे आवश्यक सहायता या मार्गदर्शन दें।

(7) प्राधिकृत कर्मचारी, प्रतिदिन, उसे प्राप्त “दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण” परिशिष्ट-तेरह में, तीन प्रतियों में, तैयार करेगा और दो प्रति प्राप्त दावे और आपत्ति प्ररूपों के साथ, अगले दिन दोपहर से पहले सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज देगा। तीसरी प्रति अपने कार्य स्थान के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा। नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति 3 दिन तक न हटाई जाय। यदि किसी दिन कोई दावा या आपत्ति प्राप्त न हो तो भी उस तारीख से संबंधित “निरंक” दैनिक विवरण भेजा जाएगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को अपराह्न 3.00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपत्ति के संबंध में प्रस्तुतकर्ता से पूछ-ताछ की जाए और उसके आधार पर दावा या आपत्ति के प्ररूप में, सुसंगत स्थान पर, अपनी रिपोर्ट दर्ज की जाए। पूछ-ताछ निम्नांकित बिन्दुओं के बावत् की जानी चाहिए :—

(i) 1 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के संबंध में क्या प्रमाण है? स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि क्या है और यदि ऐसा प्रमाण-पत्र न हो तो क्या अन्य दस्तावेज या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उसकी आयु 18 वर्ष है?

यदि मतदाता 18 वर्ष से कहीं अधिक उम्र का हो तो उसके द्वारा पूर्व में नगरपालिका या विधान सभा की निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज न कराए जाने का क्या कारण है? क्या ऐसा कारण संतोषजनक है?

(ii) उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहां है और वह क्या करता है? उसके परिवार में और कौन-कौन लोग हैं?

(iii) जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाये जाने की मांग) की गई है उसकी मृत्यु कब/कहां हुई?

(iv) जिस व्यक्ति का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने या अन्यत्र चले जाने या अपात्रता के कारण मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाये जाने के लिये मांग) की गई है वह कहां रहता है या कब और कहां चला गया या उसकी कथित अपात्रता का आधार क्या है?

(9) प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्ट को मान्य करने के लिये सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बाध्य नहीं हैं। उससे यह अपेक्षित है कि वह मामले में अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकालें और आवश्यक होने पर अलग से जांच भी करें।

(10) रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, प्राधिकृत कर्मचारियों से प्रतिदिन पूर्वाह्न में, पिछले दिन से संबंधित समस्त दावों और आपत्तियों के प्ररूपों को परिशिष्ट-तेरह में तैयार किये गये दैनिक विवरण सहित अपने कार्यालय में मंगाने की समुचित व्यवस्था की जाए।

अध्याय-6

कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही करना

1. जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को बहुधा इस आशय की जानकारी/शिकायतें प्राप्त होती हैं कि सूची में सम्मिलित अमुक-अमुक व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह :—

- (1) नगरपालिका क्षेत्र से बाहर चला गया है, या
- (2) नगरपालिका के एक से अधिक वार्डों की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है, या
- (3) नगरपालिका के साथ-साथ किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में भी रजिस्ट्रीकृत है, या
- (4) मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिये अन्यथा हकदार नहीं है।

कभी-कभी किसी व्यक्ति का नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में दो-दो स्थानों पर दर्ज होने की शिकायतें भी मिलती हैं।

लेकिन उपरोक्त प्रकार की शिकायतें करने वाले लोग स्वयं आगे आकर, मतदाता सूची के संशोधन के दौरान (अर्थात् प्रारंभिक प्रकाशन के पश्चात् दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की समयावधि के दौरान) विहित प्ररूप में आपत्ति नहीं करते। ऐसे मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 13(2)/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 31(2) के अंतर्गत इस प्रकार के नामों को स्वप्रेरणा से हटाए जाने की कार्यवाही की जा सकती है। प्राप्त शिकायत या जानकारी प्रथमदृष्टया सही प्रतीत होने की आश्वस्ति हो जाने पर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उसका अभिज्ञान लेते हुए स्वप्रेरणा से एक प्रकरण पंजीकृत किया जाए और संबंधित व्यक्ति को अर्थात् जिसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाना प्रस्तावित है उसे, **परिशिष्ट-चौदह** में दिये गये प्ररूप में उसके ज्ञात पते पर (अर्थात् मतदाता सूची में दर्ज मकान तथा वार्ड के पते पर) नोटिस भेजा जाए। मामले में सुनवाई की तारीख, नोटिस जारी होने के 3 दिन बाद की रखी जाए। संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित तारीख को प्रस्तुत अभ्यावेदन या मौखिक या लिखित साक्ष्य पर विचार करने के बाद उसके नाम को मतदाता सूची से हटाने के प्रश्न पर निर्णय किया जाए।

2. यह भी संभव है कि मतदाता सूची तैयार करते समय असावधानी या गलती से :

- (i) कुछ ऐसे मतदाताओं के नाम छूट जाएं जिनके नाम विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली में अथवा आयोग की पिछली मतदाता सूची में सम्मिलित थे, या
- (i.i) किसी मतदाता अथवा कुछ मतदाताओं की प्रविष्टियां उस वार्ड में दर्ज होने के बजाय जिसके वे मामूली तौर पर निवासी हैं, किसी अन्य वार्ड में दर्ज हो जाएं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जानकारी में यदि ऐसी कोई गलती आए तो उसे चाहिए कि वह मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान ही उसे ठीक करने के लिये उपचारी कार्यवाही करे। ऐसे मामलों में उसके द्वारा स्वप्रेरणा से छूटे हुए मतदाताओं के नामों को सूची में सम्मिलित करने अथवा गलत स्थान पर अंकित प्रविष्टियां सही स्थान पर अन्तरित करने हेतु प्रकरण पंजीकृत करके, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित की जाए। सूचना **परिशिष्ट-पन्द्रह** में जारी की जाए और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा एक-एक प्रति निम्नांकित कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर लगाई जाए :—

- (1) नगरपालिका कार्यालय, तथा

- (2) वह कार्यालय जहां संबंधित वार्ड की मतदाता सूची सार्वजनिक निरीक्षण तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये रखी गई है।

ऐसे मामलों में सुनवाई की तारीख, सूचना के प्रकाशन के 3 दिन बाद की निर्धारित की जाए और निर्धारित तारीख को प्रस्तुत अभ्यावेदन या किसी मौखिक या लिखित आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रकरण में समुचित निर्णय किया जाए।

3. (1) बहुधा यह देखा गया है कि मतदाता सूची में ऐसे अनेक व्यक्तियों के नाम बने रहते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतदाता सूची से मृतक का नाम हटाए जाने के सम्बन्ध में न तो उसके घरवालों द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है और न ही संबंधित वार्ड के किसी मतदाता द्वारा इस सम्बन्ध में प्रारंभिक सूची के प्रकाशनोपरान्त कोई आपत्ति की जाती है, अतएव इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ही की जाना अपेक्षित है।

(2) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु का पंजीकरण आवश्यक है। जिला स्तर पर, जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य के लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी को पदेन जिला रजिस्ट्रार घोषित किया गया है। उसके पर्यवेक्षण में यह कार्य नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थानों द्वारा संपादित किया जाता है। अतः मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के मृतकों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं है। इस हेतु (सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा) सम्बन्धित नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक पत्र भेजकर उससे विगत कैलेण्डर वर्ष अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच पंजीकृत ऐसे मृतकों की जानकारी प्राप्त की जाए जिनकी आयु मृत्यु के समय 18 वर्ष से अधिक थी। यह जानकारी निम्नलिखित प्रपत्र में मंगाई जाए:—

प्रपत्र

विषय:—दिनांक 1 जनवरी, से 31 दिसम्बर के दौरान 18 वर्ष से अधिक की आयु के मृतकों की सूची

क्रमांक	मृतक का नाम	पिता/पति का नाम	मृत्यु के समय आयु	मृतक के निवास स्थान का पता	
				मोहल्ला/ वार्ड नं.	मकान नम्बर
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम.

स्वास्थ्य अधिकारी/प्रभारी अधिकारी.

प्राप्त जानकारी का पुनः सत्यापन आवश्यक नहीं है क्योंकि वह कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत संधारित जानकारी है। इसके आधार पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मूल मतदाता सूची में सम्मिलित मृतकों के नाम लाल स्याही से काट दिये जाएं और सम्बन्धित नगरीय निकाय की अनुपूरक मतदाता सूची में, विलोपन शीर्षक के अन्तर्गत, उनका उल्लेख किया जाए। यदि, कदाचित्त मतदाता सूची में ऐसे किसी मृतक का नाम पहले से ही शामिल न हो तो उसके विलोपन का प्रश्न नहीं उठेगा।

मतदाता सूची एजेण्टों की नियुक्ति के संबंध में

1. आयोग मतदाता सूचियों की तैयारी में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों की सहभागिता चाहता है जिससे मतदाता सूचियों की तैयारी में पारदर्शिता एवं यथार्थता रखने में सुविधा होगी। इस हेतु प्रारूप प्रकाशन पर मतदाता सूची की एक प्रति मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के जिले के अध्यक्ष/प्रभारी को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

2. आयोग का ऐसा अनुमान है कि प्रारूप मतदाता सूचियों के प्रकाशन पश्चात् राजनैतिक दलों द्वारा प्रारूप मतदाता सूचियों की विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने की दिशा में अपेक्षित सक्रियता समय रहते नहीं दिखाई जाती है। यह उल्लेखनीय है कि यदि प्रारूप मतदाता सूची की विसंगतियां समय रहते संबंधित अधिकारियों (रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) के ध्यान में ला दी जाएं तो उन विसंगतियों का निराकरण मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पूर्व किया जा सकता है।

3. प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूचियों के संबंध में मैदानी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जानकारी प्राप्त कर प्रारूप मतदाता सूचियों को अद्यतन किये जाने की प्रक्रिया में सहाभागिता हेतु आयोग द्वारा “मतदाता सूची एजेन्ट” नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी नियुक्ति प्राधिकृत कर्मचारियों के संदर्भ में होगी और जो एक वार्ड विशेष की मतदाता सूचियों के संदर्भ में जांच हेतु अधिकृत होगा।

4. आयोग के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल संलग्न निर्धारित प्रारूप में “मतदाता सूची एजेन्ट” नियुक्त कर सकेंगे। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने अध्यक्ष/सचिव/कार्यकारिणी सदस्य (office bearer) के माध्यम से एक जिला प्रतिनिधि (district representative) को जिले में मतदाता सूची एजेण्टों की नियुक्ति हेतु अधिकृत कर सकेंगे। अधिकृत किये जाने के संबंध में प्रारूप-1 संलग्न है। जिला प्रतिनिधि द्वारा मतदाता सूची एजेण्टों के नियुक्ति पत्र इंक पेन/बॉल पेन से हस्ताक्षरित किए जाएंगे। हस्ताक्षर हेतु रबर स्टाम्प का उपयोग नहीं किया जाएगा।

5. शासकीय सेवक अथवा स्थानीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में कार्यरत कर्मचारी “मतदाता सूची एजेण्ट” के रूप में नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे।

6. मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के अधिकृत जिला प्रतिनिधि द्वारा मतदाता सूची एजेण्ट की नियुक्ति संलग्न निर्धारित प्रारूप-2 में की जायेगी। मतदाता सूची एजेण्ट अपना नियुक्ति पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

7. “मतदाता सूची एजेण्ट” मतदाता सूची के संबंध में दावे/आपत्तियां प्राप्त नहीं कर सकेगा। वह केवल एक मार्गदर्शक के रूप में मतदाताओं को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करेगा।

8. मतदाता सूची एजेण्ट अपने अधिकारिता क्षेत्र में मृत एवं अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं की सूची प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित संलग्न प्रारूप 3 एवं 4 में प्रस्तुत कर सकेगा। संबंधित एजेण्ट को उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता के संबंध

में एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई सूची उसकी जानकारी के आधार पर सत्य है. उक्त घोषणा के मिथ्या होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

9. मतदाता सूची एजेण्ट अपने अधिकारिता क्षेत्र में मतदाताओं को मतदाता सूची के प्रारूप के निरीक्षण हेतु प्रेरित करेगा तथा यथास्थिति मतदाता सूची में नाम संशोधन/विलोपन तथा स्थानांतरित किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी प्रकार “मतदाता सूची एजेण्ट” मार्गदर्शक के रूप में 18 वर्ष या उससे अधिक के मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित करेगा।

10. मतदाता सूची एजेण्ट अपरिहार्य स्थिति जैसे मृत्यु की स्थिति में ही बदला जा सकेगा. उनको बदले जाने की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया अनुसार ही होगी। अगर मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नया “मतदाता सूची एजेण्ट” नियुक्त किया जाता है तो प्रारूप मतदाता सूची की वही प्रति उपयोग में लाई जाएगी जो पूर्व में मतदाता सूची एजेण्ट को मान्यता प्राप्त दल द्वारा प्रदान की गई है।

प्रारूप मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित तैयार करने के संबंध में राजनैतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। इस संदर्भ में पार्टी द्वारा आवश्यक जानकारी तथा निर्देश संबंधित एजेण्ट को दिये जाना होंगे।

दावों और आपत्तियों में जांच और उनका निपटारा

1. रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रतिदिन प्राधिकृत कर्मचारियों से, दावे और आपत्तियों के प्ररूपों के साथ **परिशिष्ट-तेरह** में तैयार किये गये “दैनिक विवरण” की दो प्रतियां प्राप्त होंगी. “दैनिक विवरण” की एक प्रति रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। यह प्रति, मामले में सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख तक, नोटिस बोर्ड पर बराबर लगाकर रखी जाए।

दैनिक विवरण की दूसरी प्रति का उपयोग दावे और आपत्तियों का “प्रकरण रजिस्टर” संधारित करने के लिये किया जाए. यह रजिस्टर **परिशिष्ट-सोलह** में संधारित किया जाए।

2. “प्ररूप-ग” में प्राप्त आपत्तियों से संबंधित मामलों में, अर्थात् जिनमें मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति की गई हो, आक्षेपित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। अतएव ऐसे मामलों में आक्षेपित व्यक्ति को (अर्थात् जिसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाना प्रस्तावित है) सुनवाई के लिये उसके ज्ञात पते पर (अर्थात् मतदाता सूची में दर्ज मकान तथा वार्ड के पते पर) **परिशिष्ट-सत्रह** में दिये गये प्ररूप में, तुरन्त सूचना भेजी जाए। सूचना की ‘तामील-रसीद’ प्रकरण से संबंधित अभिलेख में रखी जाए। इस सूचना में सुनवाई के लिये वही तारीख अंकित की जाए जो कि आपत्तिकर्ता को प्राधिकृत कर्मचारी ने ‘प्ररूप-ग’ में उसकी आपत्ति प्राप्त करते समय संसूचित की हो।

3. रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त दावों और आपत्तियों पर अथवा स्वप्रेरणा से पंजीकृत प्रकरणों में सुनवाई, उस तारीख को अवश्य करनी चाहिए जो दावेदार या आपत्तिकर्ता को दी गई पेशी तारीख की सूचना में अंकित है। निर्धारित तारीख को सुनवाई और आवश्यक जांच कर लेने से, न केवल पक्षकारों को सुविधा होती है वरन कार्य नियमित रूप से निपटता जाता है और आखरी दिनों के लिये काम का बहुत अधिक बोझ इकट्ठा नहीं होने पाता। **सभी दावे और आपत्तियां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित तारीख तक अवश्य निपटा दिए जाने चाहिए।**

4. रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य का अधिकांश भाग मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिये दावों से संबंधित रहता है। ऐसे दावों में मुख्यतः यह देखा जाना होता है कि क्या दावेदार उस वर्ष की 1 जनवरी को, जिस वर्ष में मतदाता सूची पुनरीक्षित की जा रही है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तथा क्या वह वस्तुतः संबंधित नगर का मामूली तौर पर (अर्थात् सामान्यतः) निवासी है।

जहां तक आयु का प्रश्न है, उसके लिये जन्मतिथि का कोई विश्वसनीय आधार (जैसे कि परीक्षा प्रमाण-पत्र, शाला पंजी या नगरपालिका के अभिलेख में लिखित जन्मतिथि आदि) उपलब्ध हो तो काम आसान हो जाता है, अन्यथा कोई आनुषंगी साक्ष्य जैसे कि भाई-बहनों की आयु ज्ञात की जानी चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय करना चाहिए।

जहां तक मामूली निवास स्थान (अर्थात् सामान्यतः निवास करने के स्थान) का प्रश्न है, यह तथ्य का प्रश्न है कि वह उस स्थान विशेष का निवासी है या नहीं।

मामूली तौर से निवासी (सामान्यतः निवासी) का अर्थ :

मामूली तौर पर निवास स्थान (सामान्यतः निवास के स्थान) से आशय उस स्थान से है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति सामान्यतः सोने के लिये करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह उस स्थान पर खाना भी खाता हो, वह भोजन या काम, बाहर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है। रहने के ऐसे सामान्य स्थान से अस्थायी अनुपस्थिति की अनदेखी की जा सकती है। कुछ समय के लिये अनुपस्थित रहना किसी व्यक्ति के सामान्य निवास को तब तक स्पष्ट है कि सांसद और विधायक, भले ही (सांसद या विधायक के रूप में) अपने कार्यकलापों के सिलसिले में अपने रहने के सामान्य स्थान से बाहर रहते हों फिर भी वे अपने नगर या ग्राम में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के हकदार होंगे। यह केवल तथ्य का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष का सामान्यतः निवासी है या नहीं? जो व्यक्ति नौकरी या व्यापार के लिये अपने ग्राम या नगर से बाहर चला गया हो उसे उस स्थान से बाहर गया हुआ ही माना जाएगा। संबंधित ग्राम या नगर में ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे के किसी भवन या अन्य सम्पत्ति से उसे सामान्यतः निवासी की योग्यता प्राप्त नहीं होगी।

जेलों, अस्पतालों आदि में रहने वाले व्यक्ति उन नगरों/वाडों की मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा सकते जिनमें ऐसी संस्थाएं स्थित हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इन संस्थाओं में अस्थायी अवधि के लिये ही रह रहे होते हैं। यही स्थिति लगभग अधिकांश छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के मामले में भी लागू होती है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था (जैसे कि किसी आश्रम या निकेतन) में लम्बे समय से रह रहा हो और उसका अपने सामान्य निवास के स्थान पर आते-जाते रहने का सिलसिला लम्बे अन्तराल से बन्द हो गया हो, तो उसे उस स्थान का सामान्य निवासी माना जा सकता है, जहां ऐसी संस्था स्थित हो। सामान्य सिद्धान्त यह है कि किसी व्यक्ति को उसके निवास के सामान्य स्थान पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए, भले ही वह वहां से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित भी क्यों न रहता हो, परन्तु उसे ऐसे पते पर मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जहां वह अस्थायी रूप से रह रहा हो।

5. संदेहास्पद मामलों में दावेदार/अपत्तिकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है या दावेदार के निवास स्थान/मोहल्ले में जाकर स्थानीय पूछ-ताछ की जा सकती है। यदि किसी क्षेत्र से बहुत अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हों तो उनके उचित और शीघ्र निराकरण के लिये मौके पर ही संक्षिप्त जांच करना बहुत सहायक होगा।

6. दावेदार/आपत्तिकर्ता का बयान अभिलिखित करने और ऐसी अन्य संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसा कि रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उचित समझे, उसके द्वारा अपना निर्णय लेखबद्ध किया जाए तथा दावेदार/आपत्तिकर्ता द्वारा मांग की जाने पर आदेश की एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदाय की जाए।

7. रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निपटाए गए समस्त दावों और आपत्तियों का विवरण और उनमें अपने निर्णयों का सार, “प्रकरण रजिस्टर” (परिशिष्ट-सोलह) में दर्ज किया जाए। “प्रकरण रजिस्टर” की प्रत्येक प्रविष्टि के समक्ष रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जाएं और यदि किसी प्रविष्टि में कोई काट-कूट हो तो वहां पर भी अपने लघु हस्ताक्षर किए जाएं। रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ में आखिरी प्रविष्टि के नीचे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर किए जाएं और अपनी मोहर भी लगाई जाए।

अंतिम मतदाता सूची तैयार करना और उनका प्रकाशन

1. सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण हो जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा “प्रकरण रजिस्टर” में की गई प्रविष्टियों के आधार पर वार्डवार “अनुपूरक मतदाता सूची” तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाए। अनुपूरक सूची परिशिष्ट-अठारह में दिये गये प्ररूप में तैयार की जाए। यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण इसे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत निगरानी में सम्पन्न कराया जाए। इस कार्य में उन्हीं कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाए जो कि पूर्व में मतदाता सूची का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये नियुक्त किये गये थे। प्रत्येक वार्ड और यदि वार्ड में एक से अधिक भाग हों तो प्रत्येक भाग के लिये एक अलग अनुपूरक सूची बनाई जाए।

‘परिवर्धन’ शीर्ष के अंतर्गत जोड़े गये मतदाताओं के सरल क्रमांक (सीरियल नम्बर) मूल सूची की क्रम संख्या के आगे जारी रखे जायेंगे। उदाहरणार्थ यदि मूल सूची के सुसंगत भाग में अंतिम मतदाता की क्रम संख्या 950 हो तो परिवर्धन सूची, क्रमांक 951 से प्रारंभ की जाए और उसे क्रमशः आगे बढ़ाया जाए।

‘संशोधन’ शीर्ष के अंतर्गत मूल मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के नाम, गृह क्रमांक, आयु आदि प्रविष्टियों की अशुद्धियों को दूर करते हुए उन्हें संशोधित रूप में दर्शाया जाएगा। जिन मतदाताओं के नाम संशोधन शीर्षक के अंतर्गत दर्ज किये जाएं उनसे संबंधित प्रविष्टियों को मूल सूची में लाल स्याही से सुधार दिया जाए।

‘विलोपन’ शीर्षक के अंतर्गत मूल ऐसे मतदाताओं के नाम अंकित किये जाएंगे जो किसी भी कारण से संबंधित नगरपालिका में पंजीकृत मतदाता बने रहने के पात्र नहीं हैं। जिन मतदाताओं के नाम विलोपन सूची में शामिल किये जाएं उनके नाम मूल सूची में, लाल स्याही से, काट दिये जाएं।

2. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के समस्त वार्डों की अनुपूरक सूचियां उपरोक्तानुसार निर्धारित प्ररूप में तैयार कर लिये जाने के पश्चात् उन्हें क्रमवार व्यवस्थित किया जाए और अन्य सारे कागजपत्रों (जैसे कि प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावे और आपत्तियां और उनमें पारित आदेश, प्रकरण रजिस्टर) के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप दिया जाए। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी, अपने पास की अनुपूरक सूचियों और कागजपत्रों को भी ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित किया जाए और तदुपरान्त समस्त अनुपूरक सूचियों को समेकित करके उनकी एक फोटो कापी कराई जाए। इस प्रकार तैयार किए गए दो सेट्स में से एक सेट अपने पास रखते हुए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दूसरा सेट राज्यस्तरीय एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगी। वेण्डर से डाटा एन्ट्री के उपरान्त चेकलिस्ट (परिवर्धन, निरसन, संशोधन) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त होगी, जिसकी सूक्ष्मता से जांच कराने के उपरान्त, उसे वेण्डर को उपलब्ध कराया जाकर त्रुटियों का सुधार कराया जाएगा।

3. अनुपूरक सूचियों का मुद्रण.—जिला स्तर पर, सम्पूर्ण नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड की अनुपूरक सूची की उतनी ही प्रतियां मुद्रित कराई जाएं जितनी कि मूल मतदाता सूची की कराई गई हों। मुद्रण के दौरान “प्रूफ रीडिंग” का दायित्व पूर्ववत् रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होगा, जो कि यह कार्य या तो स्वयं या किसी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की व्यक्तिगत निगरानी में सम्पन्न कराएगा। अनुपूरक सूची की मुद्रित प्रतियां प्राप्त होने पर उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मूल सूची में, सुसंगत वार्ड (या उसके भाग) के साथ संलग्न किया जाए। प्रत्येक वार्ड (या उसके भाग) की अनुपूरक सूची के अंत में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और पदनाम की मोहर लगाकर अभिप्रमाणित किया जाए।

यदि किसी वार्ड (या उसके किसी भाग) की मतदाता सूची में कोई परिवर्धन, संशोधन या विलोपन न भी किया गया हो तब भी उसके अंत में एक निरंक प्रविष्टि वाली अनुपूरक सूची जोड़ी जाए और उसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाए अर्थात् उसमें पृष्ठ क्रमांक दर्ज करते हुए अपने हस्ताक्षर किए जाएं और पदनाम की मोहर लगाई जाए।

4. **मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन.**—(i) उस तारीख को जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई सूची का प्रकाशन आवश्यक है। इस हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, **परिशिष्ट-उन्नीस** में दिये गये प्ररूप में एक नोटिस लगाया जाए और उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाए। उक्त कार्यवाही के साथ-साथ, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के प्रत्येक “सेट” (Set) के **मुख्य पृष्ठ** (परिशिष्ट-छः) के अंत में अपने हस्ताक्षर और पदनाम की मोहर के अंतर्गत निम्नानुसार एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित किया जाए :—

“प्रमाणित किया जाता है कि नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के लिये तारीख 01 जनवरी के सन्दर्भ में तैयार की गई मतदाता सूची की यह अंतिम रूप से प्रकाशित सूची है।		
तारीख		
स्थान	मोहर	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(ii) अनुपूरक सूचियाँ उपलब्ध मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की नगर स्थित इकाई को और यदि नगर में ऐसी इकाई न हो तो जिला स्थित इकाई को, लिखित में इस आशय की सूचना भेजी जाए कि वे अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदाता सूची की एक प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के तीन सेट्स जिला निर्वाचन अधिकारी को (भावी उपयोग और संदर्भ हेतु) भेज दिये जाएं और शेष सेट्स निर्वाचन के समय स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखे जाएं।

(iv) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् ऐसी लिपिकीय, तकनीकी एवं मुद्रण संबंधी त्रुटि, जो सहज दृश्यमान हो, नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय के पूर्व तक ठीक की जा सकती है। इस स्थिति के सिवाय निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तक, मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील

1. मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 6(5) के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके आदेश के पांच दिन के अंदर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है। ऐसी अपील **परिशिष्ट-बीस** में दिये गये प्ररूप में, विवादित आदेश की एक प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। इस प्ररूप की प्रतियां, रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी के कार्यालय में पहिले से ही, पर्याप्त संख्या में चक्रमुद्रित या मुद्रित कराके रखी जाएं और अपील करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को, मांग करने पर, एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदाय की जाए।

2. अपील प्रस्तुत होते ही अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में सुनवाई के लिये तारीख निर्धारित की जाए और तत्काल संबंधित रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से मूल अभिलेख तलब किया जाए। **संबंधित अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह संगत अभिलेख उसी दिन, अपील प्राधिकारी के पास पहुंचाए।** अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी कि अपील प्राधिकारी ठीक समझे, वह अपील में समुचित आदेश पारित करेगा।

3. अपील प्राधिकारी का यह प्रयास होना चाहिए कि निर्वाचन के लिये नामनिर्देशन-पत्र दाखिल किये जाने का कार्य प्रारंभ होने के पहले ही उसके पास विचाराधीन सभी अपील-प्रकरणों का निराकरण हो जाए।

अपील प्राधिकारी के आदेश पर मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही :

4. यदि अपील प्राधिकारी द्वारा अपील मान्य कर ली गई तो वह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को **परिशिष्ट-इक्कीस** में निर्देश देगा। अपील प्राधिकारी का आदेश प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम प्रकरण रजिस्टर के अन्त में, अपने हाथ से आवश्यक प्रविष्टि की जाए और उसके नीचे, अपील प्रकरण का उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर किए जाएं और पदनाम की मोहर लगाई जाए। तत्पश्चात्, सुसंगत अनुपूरक सूची के अन्त में आवश्यक प्रविष्टि की जाए और उसे अभिप्रमाणित करते हुए उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किए जाएं और पदनाम की मोहर लगाई जाए।

अपील प्राधिकारी के केवल ऐसे आदेश के अंतर्गत मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किया जाए, जो निर्वाचन नियम-21 के अंतर्गत जारी की गई सूचना में नामनिर्देशन के लिए नियत अंतिम तारीख तथा समय के पूर्व प्राप्त हो जाए। उसके बाद प्राप्त किसी आदेश पर, तब तक मतदाता सूची में संशोधन न किया जाए जब तक कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए अर्थात् निर्वाचन का परिणाम घोषित न हो जाए।

अध्याय-10

विविध

1. मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कागज-पत्रों की अभिरक्षा :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावे और आपत्तियां और उन पर रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील अधिकारी के आदेश, स्वप्रेरणा से प्रारंभिक मतदाता सूची में किये गये संशोधनों से संबंधित कागज-पत्र तथा 'प्रकरण रजिस्टर' आदि कागज-पत्र मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के तुरन्त बाद ठीक से व्यवस्थित करके जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिलेखगार में संरक्षित रखे जाने के लिये भेज दिये जाएं। ऐसे कागज-पत्र तब तक संरक्षित रखे जाएंगे जब तक कि मतदाता सूची में आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता और तत्पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

2. अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण तथा उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति जारी करना:

- (i) कोई भी व्यक्ति दो रुपए की फीस का नगद भुगतान करके, जिसके लिये उसे रसीद दी जाएगी, अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है। इस प्रकार के निरीक्षण की सुविधा प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयीन कक्ष में और जिला स्तर पर उप-जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में उपलब्ध कराई जाए।
- (ii) कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची के किसी अंश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का हकदार है। प्रमाणित प्रति उतनी ही फीस का नगद भुगतान करने पर तथा उसी प्रक्रिया का अनुसरण करके प्रदाय की जाए, जो कि राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के प्रदाय के लिये निर्धारित है।

3. मतदाता सूचियों की बिक्री :

बिक्री के प्रयोजन के लिये वार्ड की पूरी मतदाता सूची को एक "इकाई" माना जाएगा और उसे छोटे भागों (अर्थात् मोहल्लेवार या भाग क्रमांकवार टुकड़ों) में नहीं बेचा जाए। विक्रय, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत, तत्समय प्रभावशील दर पर किया जाए और विक्रय से प्राप्त राशि (कोषालय में) निम्नांकित मद में जमा की जाए :—

मद क्रमांक 0070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं—02—चुनाव—800—अन्य प्राप्तियां—राज्य चुनाव आयोग की प्राप्तियां।

**मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) में नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में
मतदाताओं की अर्हता/निरर्हता संबंधी कानूनी प्रावधान तथा
“मामूली तौर पर निवासी” का अर्थ**

(क) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत :

धारा 12. मतदाताओं की अर्हता तथा उनका नाम दर्ज किया जाना.—धारा 13 तथा 14 के उपबंधों के रहते हुए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो—

- (ए) उस वर्ष की, जिसमें किसी वार्ड के लिये निर्वाचक नामावली तैयार की गई हो या पुनरीक्षित की गई हो, जनवरी के प्रथम दिन 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है,
- (बी) किसी वार्ड में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (क्रमांक 43 सन् 1950) की धारा 20, जो इस उपांतरण के अध्वधीन रहेगी कि उसमें “निर्वाचन-क्षेत्र” के प्रति किया गया निर्देश “वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र” के प्रति किया गया निर्देश है, के अर्थ के अंतर्गत मामूली तौर से निवासी है, और
- (सी) उस विधान सभा निर्वाचक नामावली में, जिसका कि उस वार्ड से संबंध स्थापित किया जा सकता हो, नाम दर्ज किया जाने के लिये अन्यथा अर्हित है,

उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किए जाने का हकदार होगा :

परन्तु :—

- (एक) कोई भी व्यक्ति उसी नगर में के एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किये जाने का हकदार नहीं होगा।
- (दो) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा।

धारा 13. मतदाताओं के लिये निरर्हता.—(1) कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने के लिये निरर्हित होगा यदि वह—

- (ए) भारत का नागरिक नहीं है, या
- (बी) विकृतचित्त का है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या
- (सी) प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष-सिद्धि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि, जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या

(डी) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित है।

(1-ए) किसी भी ऐसे व्यक्ति का, जो कि नाम दर्ज कर लिया जाने के पश्चात् इस प्रकार निरर्हित हो जाता है, नाम उस निर्वाचक नामावली में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगा :

परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन की निरर्हिता के कारण निर्वाचक नामावली में से काटा गया है, उस नामावली में उस परिस्थिति में तत्काल पुनःस्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हिता उस कालावधि के दौरान, जिसमें कि ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो कि ऐसा हटाया जाना प्राधिकृत करती है।

(2) यदि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी का, उसको दिए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि निगम की निर्वाचक नामावली में कोई भी प्रविष्टि—

(क) किन्हीं विशिष्टियों में गलत या त्रुटिपूर्ण है,

(ख) नामावली में अन्यत्र रखी जानी चाहिए, या

(ग) इस आधार पर लोप कर दी जानी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वह वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या वह उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है,

तो वह प्रविष्टि को संशोधित करेगा, अन्यत्र रखेगा या उसका लोप करेगा :

परन्तु इस आधार पर कि संबंधित व्यक्ति वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है, या यह कि वह उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, कोई कार्यवाही करने से पूर्व यथास्थिति राज्य निर्वाचन आयोग या प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की बावत् सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण.—अभिव्यक्ति “मामूली तौर से निवासी” का वही अर्थ होगा जो उसके लिए धारा 12 के खण्ड (ख) में दिया गया है।

(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत:

धारा 30 मतदाताओं की अर्हिता तथा उनका नाम दर्ज किया जाना.—धारा 31 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो—

(ए) उस वर्ष की जिसमें किसी वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार की गई हो या पुनरीक्षित की गई हो, जनवरी के प्रथम दिन अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है।

- (बी) किसी वार्ड में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (क्रमांक 43 सन् 1950) की धारा 20 जो इस उपान्तरण के अधीन रहेगी कि उसमें “निर्वाचन क्षेत्र” के प्रति किया गया निर्देश “वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र” के प्रति किया गया निर्देश है, के अर्थ के अन्तर्गत मामूली तौर से निवासी है, और
- (सी) उस विधान सभा निर्वाचक नामावली में, जिसका उस वार्ड से संबंध स्थापित किया जा सकता हो, नाम दर्ज किए जाने के लिए अन्यथा अर्हित है;

उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने का हकदार होगा :

परन्तु—

- (एक) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा;
- (दो) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा।

31. मतदाताओं की निरर्हता.—(1) कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने के लिए निरर्हित होगा यदि वह—

- (ए) भारत का नागरिक नहीं है; या
- (बी) विकृत चित्त का है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या
- (सी) प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष-सिद्धि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि, जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या
- (डी) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित है.
- (1-ए) किसी भी ऐसे व्यक्ति का, जो कि नाम दर्ज कर लिया जाने के पश्चात् इस प्रकार निरर्हित हो जाता है, नाम उस निर्वाचक नामावली, में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगा :

परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन की निरर्हता के कारण निर्वाचक नामावली में से काटा गया है। उस नामावली में उस परिस्थिति में तत्काल पुनःस्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें कि ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो कि ऐसा हटाया जाना प्राधिकृत करती है।

(2) यदि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी का, उसको किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में की कोई प्रविष्टि—

(क) किन्ही विशिष्टियों में गलत या त्रुटिपूर्ण है;

(ख) नामावली में अन्यत्र रखी जानी चाहिए, या

(ग) इस आधार पर लोप कर दी जानी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वह वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या वह उस नामावली में नाम दर्ज किए जाने का अन्यथा हकदार नहीं है,

तो वह प्रविष्टि को संशोधित करेगा, अन्यत्र रखेगा या उसका लोप करेगा :

परन्तु इस आधार पर कि सम्बन्धित व्यक्ति उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या यह कि वह उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व यथास्थिति राज्य निर्वाचन आयोग या प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के बावत् सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण—अभिव्यक्ति “मामूली तौर से निवासी” का वही अर्थ होगा जो कि उसके लिए धारा 30 के खण्ड (बी) में दिया गया है।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अन्तर्गत “मामूली तौर से निवासी” का अर्थ:—

20. “मामूली तौर से निवासी” का अर्थ.—(1) किसी व्यक्ति की बावत् केवल इस कारण कि वह निर्वाचन क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(1-क) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आप को अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बावत् केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(1-ख) संसद् का या किसी राज्य के विधान-मण्डल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बावत् इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन-क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्प से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी है।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें, यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।

(4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित कर दिया है जिसे इस उपधारा के उपबंध लागू हैं उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण न किए होता तो वह, उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, निहित प्ररूप में किए गये और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बावत् कि यदि मेरी सेवा अर्हता न होती या मैं किसी ऐसे पद को धारण न किए होता, जैसा उपधारा (4) में निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह स्वीकार किया जाएगा कि वह शुद्ध है।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों के और ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाएं, प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा।

(8) उपधाराओं (3) और (5) में “सेवा अर्हता” से—

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए हैं, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है, अभिप्रेत है।

मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित, “मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994” का उद्घरण

अध्याय-2—मतदाता सूची

3. मतदाता सूची का तैयार किया जाना और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति.—(1) निर्वाचन आयोग प्रत्येक नगरपालिका के लिये अधिनियम के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए वार्डवार प्ररूप 1 में मतदाताओं की सूची देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में तैयार करवाएगा।

(2) निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक नगरपालिका के लिये एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की और नगरपालिका के मतदाताओं की सूची बनाने में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता करने के लिये, जैसा आवश्यक समझा जाए, एक या एक से अधिक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

(3) प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करने हेतु सक्षम होगा।

4. दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये मतदाता सूची का प्रकाशन.—(1) जैसे ही मतदाता सूची तैयार हो जाए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सूची में नाम सम्मिलित करने तथा उसमें की किसी प्रविष्टि की बाबत् आपत्ति के लिये ऐसे प्ररूप में, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए, सूचना प्रदर्शित करके दावे आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना (नोटिस) देगा तथा सूची की प्रति तैयार करके—

(क) अपने कार्यालय पर, यदि वह नगरपालिका के भीतर है;

(ख) नगरपालिका के कार्यालय पर; और

(ग) वार्ड में या उसके पास के किसी ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा कि उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, निरीक्षण के लिये उपलब्ध करवाएगा।

(2) सूचना में वह कालावधि, जिसके दौरान तथा वह अधिकारी जिसके पास आपत्तियां या दावे, यदि कोई आई हो, दाखिल किए जा सकेंगे तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसी आपत्ति तथा दावे यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मतदाता सूची कार्यालय समय के दौरान प्रकाशन की तारीख की कालावधि से कम से कम सात दिन के लिए जनता द्वारा निरीक्षण के लिए निःशुल्क खुली रहेगी।

(4) मतदाता सूची की प्रति, किसी भी व्यक्ति को, ऐसी फीस का भुगतान करने पर जैसी कि निर्वाचन आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, प्रदाय की जाएगी।

5. **दावे तथा आपत्तियाँ.**—(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में प्रविष्ट न किया गया हो या गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों सहित प्रविष्ट किया गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सूची में प्रविष्ट हो और जिसे स्वयं अपने नाम या किसी अन्य व्यक्ति का नाम उस सूची में सम्मिलित कर लिये जाने पर आपत्ति हो, नियम 4 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अन्तिम दिन अधिक से अधिक 3 बजे अपराह्न तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित आवेदन देकर दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और उसके पश्चात् प्राप्त होने वाला कोई भी दावा या आपत्ति ग्रहण नहीं की जाएगी।

(2) प्रत्येक दावा या आपत्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा विहित प्ररूप में की जाएगी और या तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) कोई दावा या आपत्ति, किन्हीं ऐसी दस्तावेजों सहित होंगे, जिन पर दावेदार या आपत्तिकर्ता निर्भर करता है।

6. **दावों तथा आपत्तियों का निपटारा.**—(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दावों या आपत्तियों के संबंध में ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, अपना विनिश्चय लेखबद्ध करेगा और ऐसे विनिश्चय की एक प्रति मांग की जाने पर दावेदार या आपत्तिकर्ता को निःशुल्क तुरन्त उपलब्ध करायेगा।

(2) इस नियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची संशोधित करेगा।

(4) इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अपील में यदि कोई हो, विनिश्चय के अध्यक्षीन रहते हुए, अन्तिम होगी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित उसकी एक प्रति उसके कार्यालय में रखी जाएगी और उसकी एक अन्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएगी।

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित हो, ऐसे विनिश्चय के पांच दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा. प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी जो निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए और अपील प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, समुचित आदेश शीघ्र पारित करेगा और अपील के सफल होने की दशा में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश देगा कि वह मतदाता सूची को उसके विनिश्चय को प्रभावी करते हुए संशोधित करे. अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची में कोई संशोधन नियम 21 के अधीन जारी की गई सूचना में नाम-निर्देशन के लिये नियत अन्तिम तारीख तथा समय के पश्चात् तथा निर्वाचन पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायेगा।

7. **प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण तथा जारी किया जाना.**—जनता के प्रत्येक सदस्य को दो रुपये फीस का नगद भुगतान करने पर नियम 6 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और किसी आवेदक को उसकी प्रमाणित प्रतियां, उतनी फीस का नगद भुगतान करने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी, जितनी राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के लिये विहित की गई है।

8. **मतदाता सूची की अस्तित्वावधि और उसका पुनरीक्षण.**—(1) नियम 6 के उप नियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उपनियम (2) या उप नियम (3) के अनुसार उसका पुनरीक्षण नहीं कर दिया जाए।

(2) ऐसी प्रत्येक सूची उस वर्ष की जिसमें उसका इस प्रकार पुनरीक्षण किया गया है, जनवरी के प्रथम दिवस के प्रतिनिर्देश से,—

(एक) नगरपालिकाओं के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व या यथास्थिति,

(दो) किसी नगरपालिका में स्थान भरने के लिए प्रत्येक उप-निर्वाचन के पूर्व।

(3) उप नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी उप-निर्वाचन के पूर्व ऐसी सूची का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं होगा यदि ऐसा उप-निर्वाचन उस कलेन्डर वर्ष के दौरान होता है, जिसकी जनवरी के प्रथम दिन को सूची मूलतः तैयार की गई है :

परन्तु निर्वाचन आयोग, ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा पर्याप्त समझे जाएं, उप-निर्वाचन करवाए जाने के पूर्व ऐसी सूची के पुनरीक्षण का निर्देश दे सकेगा।

(4) पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 6 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची की विधिमान्यता या उसकी निरन्तर प्रवर्तन में रहना, उपनियम (2) के अधीन ऐसी सूची का पुनरीक्षण नहीं होने से या उपनियम (3) के परन्तुक के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रकार निर्देश दिये जाने से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगा।

9. **मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना.**—नियम 9-क के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए नियम 6 के अधीन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् उसकी किसी प्रविष्टि में कोई सुधार या किसी नाम का समावेश या अपवर्जन नहीं किया जाएगा :

परन्तु किसी मतदाता से संबंधित अभिलेख पर दृश्यमान लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि या चूक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 21 के अधीन नामनिर्देशन के लिये नियत अंतिम तारीख और समय के पूर्व किसी भी समय ठीक की जा सकेगी।

9-क. **कतिपय मामलों में मतदाता सूची में प्रविष्टियों का विलोप किया जाना.**—(1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, उसे प्रस्तुत किये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित

समझे, यह समाधान हो जाए कि नियम 6 के अधीन नगरपालिका की मतदाता सूची के अंतिम रूप दिये जाने के बाद उसमें से संबंधित व्यक्ति के नाम का इस आधार पर विलोप किया जाना चाहिए कि वह संबंधित नगरपालिका के एक से अधिक वार्डों की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है या किसी अन्य नगरपालिका या किसी पंचायत की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस संबंध में आयोग द्वारा दिये गये सामान्य या विशेष निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, ऐसी प्रविष्टि का विलोप करेगा :

परन्तु इस संबंध में कोई कार्रवाई करने के पूर्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोपन संबंधित नगरपालिका के किसी वार्ड से निर्वाचन के लिये नियम 21 के अधीन जारी सूचना में नामनिर्देशन के लिये नियत अंतिम तारीख के बाद और निर्वाचन पूरा होने के पहले नहीं किया जायेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोप करने के अपने विनिश्चय के कारणों को अभिलिखित करेगा और संबंधित व्यक्ति द्वारा मांग करने पर, ऐसे विनिश्चय की एक प्रतिलिपि तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।

(4) उप नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकेगा।

(5) जिला निर्वाचन अधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् अपील पर उपयुक्त आदेश पारित करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

10. **कागज-पत्रों की अभिरक्षा और उनका नष्ट किया जाना.**—नियम 4 के अधीन प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची तथा नियम 5 के अधीन प्राप्त दावे और आपत्तियां, उन पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के आदेशों सहित तथा नियम 9-क के अधीन कार्रवाइयों से संबंधित कागज-पत्र तब तक जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिलेखागार में संरक्षित रखे जाएंगे जब तक कि मतदाता सूचियों का आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता और तत्पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी
[नियम 3(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त]

क्र.	नगरपालिका का विवरण	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी का पदनाम	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी का पदनाम	अपील प्राधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. नगरपालिक निगम :				
(i)	जिला मुख्यालय का नगर-पालिक निगम.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/उप बंदोबस्त अधिकारी/अधीक्षक, भू- अभिलेख/तहसीलदार/सहायक बंदोबस्त अधिकारी/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
(ii)	जिला मुख्यालय के बाहर का नगरपालिक निगम.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/उप बंदोबस्त अधिकारी/सहायक बंदोबस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
2. नगरपालिका परिषद् :				
(i)	जिला मुख्यालय की नगर-पालिका, परिषद्.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/उप बंदोबस्त अधिकारी/सहायक बंदोबस्त अधिकारी/अधीक्षक, भू-अभिलेख/तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
(ii)	जिला मुख्यालय के बाहर की नगरपालिका परिषद्.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या डिप्टी कलेक्टर.	उप बंदोबस्त अधिकारी/तहसीलदार/सहायक बंदोबस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
3. नगर परिषद् :				
(i)	जिला मुख्यालय की नगर परिषद्.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	डिप्टी कलेक्टर/उप बंदोबस्त अधिकारी/तहसीलदार/सहायक बंदोबस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
(ii)	राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय की नगर परिषद्.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	अपर तहसीलदार/सहायक बंदोबस्त अधिकारी/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/विकासखण्ड अधिकारी.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
(iii)	राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय के बाहर की नगर परिषद्.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	सहायक बंदोबस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/विकासखण्ड अधिकारी.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

**नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित “विधान सभा निर्वाचक नामावली के भाग”
और उनके अंतर्गत आने वाले “वार्ड”**

विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली का भाग अनुक्रमांक (1)	स्तम्भ (1) में उल्लिखित भाग अनुक्रमांक में शामिल कुल मतदाताओं की संख्या (2)	स्तम्भ (1) में उल्लिखित भाग के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित वार्डों का विवरण तथा मतदाताओं की संख्या				मतदाताओं की संख्या (7)	स्तम्भ (2) तथा (7) में दर्ज संख्या में यदि कोई अंतर हो तो उसका कारण (8)
		वार्ड का		वार्ड में शामिल मोहल्लों/क्षेत्रों का विवरण			
		नाम (3)	क्रमांक (4)	नाम (5)	मकान नं. .. से .. (6)		
6			1				
			2				
7							
योग :							

आधारपत्रक

भाग-2

वार्डों के भाग और उनमें मतदाताओं की संख्या

वार्ड का विवरण		मतदाताओं की कुल संख्या	वार्ड के भाग और उनमें मतदाताओं की संख्या			
नाम	क्रमांक		भाग क्रमांक	मोहल्लों/क्षेत्रों का विवरण		मतदाताओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	नाम	मकान नंबर ... से ...	(7)
	1		01			
			02			
	2		01			
			02			
			03			
	3		01			
			02			
	.					
	.					
	.					
योग :						

वर्ष—1999

वार्ड क्रमांक 12 भाग क्रमांक (यदि हो) 02

वार्ड का नाम गांधी नगर मतदान केन्द्र क्रमांक 24

मतदाता सूची सार विवरण (गोशवारा)

सम्मिलित मोहल्ले		गृह क्रमांक (यदि हो)			मतदाता क्रमांक			कुल
क्रमांक	नाम	क्र.	से	तक	क्र.	से	तक	मतदाता
1.	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी	1	से	27	1	से	62	62
2.	मोती कॉलोनी	28	से	44	63	से	125	63
3.	गांधी नगर	45	से	295	126	से	986	861
अनुपूरक सूची में सम्मिलित मतदाताओं की संख्या								-
मूल सूची में सम्मिलित मतदाताओं की कुल संख्या								986
दावों तथा आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् (अनुपूरक सूची के आधार पर) सूची में शामिल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि या कमी :-								
वृद्धि (+)								14
कमी (-)								05
सकल वृद्धि या कमी (+)								09
(-)								-
पुनरीक्षित सूची में शामिल कुल मतदाता								995

नगरपालिका निर्वाचन

परिशिष्ट-छः

नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् जिला

वर्ष

मतदाता सूची

वार्ड का विवरण		परिसीमन आदेश के अनुसार वार्ड का ब्यौरा (सम्मिलित क्षेत्र/मोहल्ले)	वार्ड की मतदाता सूची में भागों के क्रमांक और मतदाताओं की संख्या		मतदान केन्द्र क्रमांक
क्रमांक	नाम		भाग क्रमांक	मतदाताओं की संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01			01		
			02		
			03		
योग :		योग :			

मोहर

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका)

प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप
कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

स्थान

क्रमांक

दिनांक

आदेश

विषय.—नगरपालिका की मतदाता सूची तैयार करने के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिये प्राधिकृत कर्मचारी के रूप में नियुक्ति।

निम्नांकित कर्मचारियों को नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् की मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिये नामनिर्दिष्ट और प्राधिकृत किया जाता है।

2. प्राधिकृत कर्मचारी उक्त नगरपालिका की प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने, दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित फार्म (प्रारूप) उपलब्ध कराने तथा फार्म भरने में मार्गदर्शन देने और प्रस्तुत दावों तथा आपत्तियों को प्राप्त कर उन्हें आवश्यक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) के साथ संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे :—

क्रमांक	प्राधिकृत कर्मचारी का विवरण		क्षेत्र का विवरण		अधिकारी का नाम तथा पदनाम जिसके साथ सम्बद्ध रहेंगे
	नाम	पदनाम एवं कार्यालय	वार्ड क्रमांक	कार्यालय/ स्थान जहां बैठकर सौंपा गया कार्य करेंगे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मोहर

.....

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका)
वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी.

प्रतिलिपि :

- (1) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् को सूचनार्थ एवं उपयुक्त कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
- (3) संबंधित कर्मचारी, द्वारा (संबंधित कार्यालय प्रमुख) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। वे कृपया दिनांक को प्रातः/अपराह्न बजे स्थान पर उपस्थित हों, जहां उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उनके कर्तव्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी तथा आवश्यक निर्देश पुस्तिकाएं एवं फार्म आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि—

- (i) मतदाता सूची का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये जिस स्थान/कार्यालय में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वहां उन्हें प्रत्येक कार्यकारी दिन प्रातः 10.00 बजे से लेकर अपराह्न 5.00 बजे तक निरन्तर उपस्थित रहना है। इसमें कोताही एक गंभीर कदाचरण माना जाएगा, जिसके लिये उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- (ii) प्रकाशित सूची, फार्म्स और अन्य कागज-पत्रों को वे संभालकर रखें। उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिये वे स्वयं पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।
- (iii) वे अपेक्षित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें और वांछित सभी जानकारीयां समय पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करें।
- (4) (संबंधित कार्यालय प्रमुख) को सूचनार्थ अग्रेषित। वे कृपया उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक से दिनांक तक पूरी तरह कार्यालयीन ड्यूटी से मुक्त रखें। इस अवधि के पूर्व भी उसे, प्रशिक्षण आदि के लिये जब बुलाया जाए, बराबर उपस्थित होने के लिए ताकीद करें।

.....
हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका)
वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

स्थान

क्रमांक

दिनांक

आदेश**विषय.**—नगरपालिका की मतदाता सूची तैयार करने के लिये सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति।

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् की मतदाता सूची तैयार करने से सम्बन्धित कार्य के लिये निम्नांकित अधिकारियों को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम तथा (राजस्व विभाग में धारित) पदनाम (2)

उपर्युक्त अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री पदनाम के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेंगे तथा उनकी अधिकारिता का क्षेत्र उन वार्डों तक सीमित होगा जो उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सौंपा जाए।


 मोहर
.....
हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

प्रतिलिपि :

- (1) (राजस्व विभाग में धारित पदनाम) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् को अग्रेषित।
- (2) संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं (राजस्व विभाग में धारित पदनाम) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

इस दायित्व के निर्वाह हेतु उन्हें निर्देश पुस्तिका, फार्म्स एवं अन्य सामग्री, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

.....
हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन की सूचना
[नियम 4 (1) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्ररूप-अ]

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

स्थान

तारीख

सेवा में,

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् जिला के मतदातागण

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :—

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् की वार्डवार मतदाता सूची तैयार है और आम लोगों के निशुल्क: निरीक्षण के लिये उपलब्ध है।

2. मतदाता सूची 1 जनवरी के आधार पर तैयार की गई है।

3. कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हकारी तारीख के संदर्भ में, मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी प्रविष्टि को संशोधित करने के लिये दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति करना चाहे, वह इस संबंध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्ररूप (फार्म) में आज तारीख से कार्यालय समय के दौरान कभी भी, परन्तु तारीख को, जो कि दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की आखरी तारीख है, अपराह्न 3 बजे तक नीचे वर्णित कार्यालयों/स्थानों में प्रस्तुत कर सकता है. विहित समय के पश्चात् प्रस्तुत किये गये दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

मोहर

.....
हस्ताक्षर
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

कार्यालयों की सूची

- (1) कार्यालय, जहां सभी वार्डों की मतदाता सूचियाँ निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और जहां किसी भी वार्ड के सम्बन्ध में दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं :—
- (i) कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एवं (राजस्व विभाग में धारित पदनाम) स्थान
- (ii) कार्यालय, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं (राजस्व विभाग में धारित पदनाम)
- (iii) कार्यालय, नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्
- (2) कार्यालय जहां केवल किसी वार्ड विशेष की मतदाता सूची उपलब्ध है और जहां उसके सम्बन्ध में दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं :—

क्रमांक	कार्यालय का नाम और स्थान	वार्ड का क्रमांक
1.		
2.		
.		
.		

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिये दावा-आवेदन
[नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-क"]

हाल ही के पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (3.5 से.मी. × 3.5 से.मी.), जिसमें बॉक्स के भीतर चेहरे की पूरी आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् जिला

महोदय,

मैं प्रार्थना करता/करती हूँ कि उपरोक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए।

मेरा नाम (पूरा) पुरुष/स्त्री/अन्य

पिता/पति का नाम

गृह क्रमांक मोहल्ला/गली

2. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार—

(i) मैं, भारत का/की नागरिक हूँ।

(ii) गत 1 जनवरी को मेरी आयु वर्ष और मास थी।

(iii) मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ।

(iv) मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिये मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन नहीं किया है।

(v) उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

मेरा नाम ग्राम/नगर जिला, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले सामान्यतः निवास कर रहा था/रही थी, की मतदाता सूची में सम्मिलित है, और मैं प्रार्थना करता/करती हूँ कि उसे उक्त मतदाता सूची से हटा दिया जाए :—

*ग्राम वार्ड क्रमांक ग्राम पंचायत विकास खण्ड
 जिला

*नगर वार्ड क्रमांक तहसील जिला

स्थान

तारीख

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

दावे का समर्थन

मैं उस मतदाता सूची में सम्मिलित एक मतदाता हूँ जिसमें सम्मिलित किये जाने के लिये दावेदार ने आवेदन किया है। मेरा नाम उक्त नगर के वार्ड क्रमांक की मतदाता सूची के भाग क्रमांक में क्रमांक पर दर्ज है। मैं इस दावे का समर्थन करता/करती हूँ और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूँ।

.....
समर्थक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

टिप्पणी.—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है।

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

— × — × — × — × — × — × — × —

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना
(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी जो का/
की निवासी है, से प्ररूप-क में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान में स्थित अपने कार्यालय में तारीख को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी। वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

तारीख

प्राधिकृत कर्मचारी
वार्ड क्रमांक
वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप :—

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है।

(2) प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :—

.....

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
 (नाम)
 वार्ड का क्रमांक

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक

तारीख

श्री/श्रीमती/कुमारी जो का/की निवासी है, द्वारा “प्ररूप-क” में प्रस्तुत आवेदन को,—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम उक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक के भाग क्रमांक में सम्मिलित कर लिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :—

.....

मोहर

.....
 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
 नगरपालिका

नगरपालिका निर्वाचन

प्ररूप-ख

परिशिष्ट-ग्यारह

हाल ही के पासपोर्ट
साइज की फोटोग्राफ
(3.5 से.मी.× 3.5
से.मी.), जिसमें बॉक्स
के भीतर चेहरे की पूरी
आकृति स्पष्ट हो,
चिपकाने के लिए स्थान

मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति

[नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित “प्ररूप-ख”]

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् जिला

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि उक्त नगर के वार्ड क्रमांक के भाग क्रमांक की मतदाता सूची की प्रविष्टि, जो क्रमांक पर के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है। कृपया उसे शुद्ध करें जिससे वह निम्नलिखित रूप से पढ़ी जाए :—

.....
.....

स्थान

तारीख

मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पूरा नाम

टिप्पणी.—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का *उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है।

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत दावे/आपत्ति पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रस्तुतकर्ता

— x — x — x — x — x — x — x —

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी जो का/

की निवासी है, से प्ररूप-ख में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान में स्थित अपने कार्यालय में तारीख को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी. वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

तारीख

प्राधिकृत कर्मचारी

वार्ड क्रमांक

वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप :—

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है।

(2) प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :—

.....
.....
.....
.....

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम))

वार्ड का क्रमांक

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक

तारीख

श्री/श्रीमती/कुमारी जो का/की निवासी है, द्वारा “प्ररूप-ख” में प्रस्तुत आपत्ति को—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाएगी—

.....
.....

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :—

.....
.....

मोहर

.....
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति
[नियम 5 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित “प्ररूप-ग”]

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
 नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् जिला

महोदय,

मैं उपरोक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक के भाग क्रमांक में
 क्रमांक पर श्री/श्रीमती/कुमारी का नाम सम्मिलित किए जाने पर, निम्नलिखित कारण
 से आपत्ति करता/करती हूँ :—

.....

2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं. उक्त वार्ड
 की मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप में सम्मिलित हुआ है :—

पूरा नाम पुरुष/स्त्री/अन्य

पिता/पति का नाम

वार्ड क्रमांक भाग क्रमांक मतदाता क्रमांक

तारीख

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पूरा डाक पता

आपत्ति का समर्थन

मैं उस मतदाता सूची में सम्मिलित एक मतदाता हूँ, जिसमें वह नाम दिया हुआ है जिस पर आपत्ति की गई है. मेरा
 नाम वार्ड क्रमांक की मतदाता सूची के भाग क्रमांक में क्रमांक पर दर्ज है. मैं
 इस आपत्ति का समर्थन करता/करती हूँ और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूँ।

.....

मतदाता के हस्ताक्षर

पूरा नाम

टिप्पणी.—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या
 जिसके सत्य होने का *उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है।

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रस्तुतकर्ता

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी जो का/की निवासी है, से प्ररूप-ग में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान में स्थित अपने कार्यालय में तारीख को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी. वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

तारीख

प्राधिकृत कर्मचारी

वार्ड क्रमांक

वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्ट :—

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है।

(2) प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :—

.....

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम)

वार्ड का क्रमांक

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक

तारीख

श्री/श्रीमती/कुमारी जो नगर
का/की निवासी है, द्वारा “प्ररूप-ग” में प्रस्तुत आपत्ति को—

(क) स्वीकार कर लिया गया है कि उक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक
के भाग क्रमांक में क्रमांक पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/
कुमारी के नाम को निकाल दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है :—

.....
.....



.....
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
नगरपालिका

नगरपालिका निर्वाचन

परिशिष्ट-तेरह

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् जिला

दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण

तारीख

भाग-1—दावे (नाम जोड़ने के लिए)

क्रमांक (1)	दावेदार का नाम तथा पिता/पति का नाम (2)	वार्ड का विवरण जिसमें नाम जोड़े जाने का दावा किया गया है		जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख (5)
		वार्ड क्रमांक (3)	भाग क्रमांक (4)	

भाग-2—आपत्ति:—(प्रविष्टियों के संशोधन के लिए)

क्रमांक (1)	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम (2)	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख (6)
		वार्ड क्रमांक (3)	भाग क्रमांक (4)	प्रविष्टि क्रमांक (5)	

भाग-3—आपत्ति:—(नाम विलोपित किये जाने के लिए)

क्रमांक (1)	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम (2)	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है				जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख (7)
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम (3)	वार्ड क्रमांक (4)	भाग क्रमांक (5)	प्रविष्टि क्रमांक (6)	

कार्य स्थान

तारीख

हस्ताक्षर

प्राधिकृत कर्मचारी

वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नगरपालिका निर्वाचन

परिशिष्ट-चौदह

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्रकरण क्रमांक

स्थान

तारीख

प्रति,

.....

विषय.—नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् की मतदाता सूची
 से नाम हटाया जाना.

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त नगरपालिका की मतदाता सूची से आपका नाम निम्नांकित आधार पर हटाए जाने का प्रस्ताव है :—

.....

(2) एतद्वारा आपसे पूछा जाता है कि आप कारण बताएं कि आपके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही क्यों न की जाए? आपका उत्तर मेरे पास निम्नांकित कंडिका में अंकित तारीख और समय तक पहुंच जाना चाहिए।

(3) यदि आप मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के इच्छुक हों तो, ऐसे साक्ष्य से साथ जो आप अपने अभ्यावेदन के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहें, तारीख को समय 10.30 बजे प्रातः स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों।

निर्धारित समयोपरान्त प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


 मोहर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

हस्ताक्षर

(नाम

नगरपालिका निर्वाचन

परिशिष्ट-पन्द्रह

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

क्रमांक

स्थान

तारीख

विषय.—नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् की मतदाता सूची में नाम शामिल करना।

सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त नगरपालिका की मतदाता सूची में, निम्नांकित तालिका में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम असावधानीवश छूट गये हैं, जिन्हें सूची में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसे इन नामों को शामिल किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति हो, वह ऐसा कर सकता है और तारीख को समय 10.30 बजे प्रातः स्थान में स्थित मेरे कार्यालय में आवश्यक साक्ष्य के साथ, सुनवाई के लिये उपस्थित हो सकता है. निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

मोहर

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

तालिका

क्रम संख्या	मतदाता का नाम और पिता/पति का नाम	वार्ड का विवरण		
		वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	गृह क्रमांक

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् जिला

दावे और आपत्तियों का प्रकरण रजिस्टर

[illegible]

*टीप.—(1) दावा/आपत्ति के प्ररूप (फार्म) के अनुसार ही, शीर्ष के अंतर्गत “क”, “ख” या “ग” लिखा जाए।

(2) प्राधिकृत कर्मचारियों से तारीखवार प्राप्त दावे और आपत्तियों पर तथा स्वप्रेरणा से दर्ज प्रकरणों में (यदि कोई हों) तारीखवार, बढ़ते हुए क्रम में, क्रमांक डाले जाएं और उसी क्रमांक को प्रकरण का “क्रमांक” शीर्ष के अंतर्गत लिखा जाए।

(आक्षेपित व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना का प्ररूप)

प्रकरण क्रमांक

स्थान

तारीख

प्रति,

(आक्षेपित व्यक्ति का नाम और पता)

.....

.....

.....

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् की मतदाता सूची में, वार्ड क्रमांक (भाग क्रमांक) के अंतर्गत सरल क्रमांक पर आपका नाम शामिल किए जाने पर/आपसे संबंधित प्रविष्टि के कुछ ब्यौरे पर, निम्नांकित मतदाता ने आपत्ति की है :—

(आपत्तिकर्ता का नाम और पता)

.....

.....

.....

आपत्ति के आधार, संक्षेप में, इस प्रकार हैं :—

.....

.....

.....

2. उपरोक्त आपत्ति पर मेरे द्वारा तारीख को समय 10.30 प्रातः मेरे कार्यालय में, जो कि स्थान में स्थित है, सुनवाई की जाएगी।

एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के साथ जो आप प्रस्तुत करना चाहें, उक्त सुनवाई के समय उपस्थित हों।


 मोहर

हस्ताक्षर

(नाम)

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील (आक्षेपित व्यक्ति का नाम)
 पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास स्थान पर सूचना चस्पा करके आज तारीख
 को कर दी है।

हस्ताक्षर

पूरा नाम
 (तामील करने वाला कर्मचारी)

नोट.—यदि सूचना की तामील डाक द्वारा की जाए तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाए। _____

प्रकरण क्रमांक

सूचना की तामील रसीद

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख

हस्ताक्षर या अंगूठा निशान
 (पूरा नाम)
 (आक्षेपित व्यक्ति)

नगरपालिका निर्वाचन

परिशिष्ट-अठारह

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्

वर्ष

अनुपूरक मतदाता सूची

वार्ड क्रमांक भाग क्रमांक

(1) परिवर्धन :

क्रमांक	गृह क्रमांक (यदि हो) और मोहल्ला	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष या महिला	आयु

(2) संशोधन :

मूल सूची का क्रमांक	मतदाता का नाम	दर्ज प्रविष्टि (जिसे संशोधित किया जाना है)	संशोधित प्रविष्टि

(3) विलोपन :

मूल सूची का क्रमांक	मतदाता का नाम

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न.पा.)

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना

जनसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् की वार्डवार मतदाता सूचियां, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार, 01 जनवरी के संदर्भ में संशोधनों सहित, प्रकाशित कर दी गई हैं और मेरे कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

तारीख
स्थान

हस्ताक्षर
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
.....
.....

रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील

[नियम 6(5) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित 'प्ररूप-घ']

स्थान

तारीख

प्रति,

अपील प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अपर कलेक्टर/कलेक्टर,
जिला

विषय.—रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्
..... के आदेश क्रमांक तारीख के विरुद्ध अपील।

महोदय,

विषयान्तर्गत नगर की मतदाता सूची तैयार करने के लिये नियुक्त वार्ड क्रमांक के प्रभारी रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, श्री के संदर्भित आदेश से व्यथित होकर मैं, उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत करता/करती हूँ। विवादित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

2. रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष मैंने निम्नांकित आपत्ति/दावा किया था :—

.....
.....
.....

3. मेरी अपील के आधार निम्नांकित हैं :—

(1)
.....
(2)
.....

4. निवेदन है कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों पर पुनः विचार करते हुए रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण

अधिकारी का विवादित आदेश निरस्त किया जाए तथा मेरा दावा/मेरी आपत्ति स्वीकार की जाए।

यदि अपीलार्थी का नाम मतदाता सूची में
सम्मिलित हो तो उसका विवरण :—
वार्ड क्रमांक
भाग क्रमांक
मतदाता क्रमांक

हस्ताक्षर (अपीलार्थी)
नाम (पूरा)
पिता/पति का नाम
पता
.....

घोषणा

मैं ऊपर वर्णित अपीलार्थी यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार इस अपील की उपर्युक्त कंडिकाओं में उल्लिखित कथन सत्य हैं।

.....
हस्ताक्षर (अपीलार्थी)
नाम (पूरा)

संलग्न.—(1) रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के आदेश तारीख
की प्रतिलिपि।

(2) अपील के समर्थन में प्रस्तुत अन्य दस्तावेज
(यदि कोई हो)।

अपील की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

श्री/कुमारी/श्रीमती पिता/पति का नाम द्वारा रजिस्ट्रीकरण/
सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रभारी, वार्ड क्रमांक के आदेश तारीख के विरुद्ध
अपील प्रस्तुत की गई जिसमें सुनवाई, तारीख को प्रातः 10.30 बजे की जाएगी. अपीलार्थी
आवश्यक साक्ष्य के साथ मेरे कार्यालय में उपस्थित हो।

मोहर

.....
हस्ताक्षर
अपील प्राधिकारी
तारीख

नगरपालिका निर्वाचन

परिशिष्ट-इक्कीस

(अपील प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाने वाली सूचना का प्ररूप)

कार्यालय अपील प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी/अपर कलेक्टर/कलेक्टर),

क्रमांक

स्थान

तारीख

प्रति,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्
..... जिला**विषय.**—मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 6(5) के अंतर्गत अपील में पारित आदेश.मेरे समक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम निवासी
वार्ड क्रमांक नगर द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 6(5) के अंतर्गत सहायक
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री द्वारा प्रकरण क्रमांक में
तारीख को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई थी।2. अपील में सुनवाई के पश्चात् मैंने तारीख को जो आदेश पारित किया है उसकी प्रति के साथ
प्रकरण की मूल नस्ती लौटाई जा रही है।**संलग्न.**—(1) प्रकरण की मूल नस्ती तथा(2) अपील में पारित आदेश
तारीख की प्रति।

मोहर

हस्ताक्षर

अपील प्राधिकारी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक-एफ-9/सात/94

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 1994

प्रति,

समस्त कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

मध्यप्रदेश (जिला सीधी को छोड़कर)।

विषय.—मतदाता सूचियों का निरीक्षण, प्रमाणित प्रतिलिपि का प्रदाय तथा विक्रय।

नगरपालिका निर्वाचन के लिये मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जाकर मुद्रित करवाने के पश्चात् मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि देने एवं विक्रय हेतु उपलब्ध कराने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :—

- (1) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 7 में वर्णित प्रावधान के अनुसार दो रुपये शुल्क का नगद भुगतान अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है। अतः तदनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के कार्यालय में सभी नगरपालिकाओं की मतदाता सूचियां तथा जिले की प्रत्येक नगरपालिका के रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में संबंधित नगरपालिका की मतदाता सूची जनता के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाये। प्राप्त होने वाले निरीक्षण शुल्क का हिसाब रखने के लिये संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गए प्रपत्र में पंजी प्रत्येक स्थान पर रखी जावे।
- (2) मतदाता सूची के किसी अंश या प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि के प्रदाय करने के संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 7 में स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध है। इसके अनुसार उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जावेगा और वही शुल्क प्राप्त किया जावेगा जो कि राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के लिये विहित की गई है।
- (3) मतदाता सूचियों की प्रतियां, मूल्य जमा करने पर, विक्रय के लिये भी उपलब्ध रखी जाएं। आयोग द्वारा मतदाता सूची के विक्रय के लिये एक रुपया प्रति पृष्ठ कीमत निर्धारित की गई है। यह स्मरण रहे कि पूरे वार्ड की मतदाता सूची का विक्रय किया जावे। वार्ड के किसी अंश का या पृष्ठ का किसी भी रूप में विक्रय नहीं किया जावे।

2. यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति का प्रदाय या मूल्य पर विक्रय मतदाता सूची को अंतिम रूप से तैयार किया जाकर मुद्रित/चक्र मुद्रित कराए जाने के पश्चात् ही किया जा सकेगा, पहले नहीं। यह बात सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट कर दी जावे।

हस्ता./-

(प्रकाश चन्द्र)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

नगरपालिका जिला

सरल क्रमांक	निरीक्षण का दिनांक	निरीक्षणकर्ता का नाम पिता का नाम तथा पता	शुल्क की राशि की रसीद का क्रमांक	निरीक्षण का विवरण			निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर
				वार्ड क्रमांक	भाग अनुक्रमांक (यदि हां तो)	मतदाता/ मतदाताओं के क्रमांक जिनका निरीक्षण किया गया (अन्य विवरण)	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58—अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)-462011

क्रमांक-एफ-52-6/2004/तीन/757

भोपाल, दिनांक 23-8-2004

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला समस्त,
मध्यप्रदेश।

विषय.—नगरपालिका निर्वाचन, 2004 मतदाता सूची की तैयारी-नवीन निर्देश।

संदर्भ.—आयोग का ज्ञापन क्रमांक एफ-52-6/2004/तीन/217, दिनांक 19-5-2004 एवं क्रमांक एफ-52-6/2004/तीन/290, दिनांक 3-6-2004।

संदर्भित पत्रों द्वारा मतदाता सूची की तैयारी के द्वितीय चरण के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में हुई चर्चा के तारतम्य में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:—

- (1) प्रत्येक दावे आपत्ति प्राप्ति के केन्द्रों पर एक सूचना फलक लगाया जावे। यह फलक कपड़े के बैनर, ब्लैक बोर्ड या मोटे कार्ड बोर्ड पर सफेद कागज चिपकाकर बना हुआ हो सकता है। यथासंभव 2 फुट चौड़े और 4 फुट लम्बे आकार के इस फलक पर संलग्न प्रारूप के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में उस केन्द्र पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी का नाम, वार्ड के प्रभारी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम, पद एवं फोन क्रमांक लिखा जाए, यह बोर्ड ऐसे सहज दृश्य स्थान पर लगाया जावे जहां वर्षा के कारण लिखावट खराब न हो। सभी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में उपरोक्त दिए गए दूरभाष क्रमांक पर कठिनाइयों के निराकरण के लिए एक उत्तरदायी कर्मचारी को तैनात किया जाये।
- (2) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन निराकरण किये गये दावे, आपत्ति प्रकरणों के निर्णय की सूचना संलग्न प्रारूप पर अगले कार्य दिवस पर नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाए।
- (3) कई मतदाताओं के पास मतदाता पहचान-पत्र हैं किन्तु उनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। ऐसे आवेदक यदि दावा फार्म भरकर अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं और उन्होंने अपना निवास स्थान नहीं बदला है तो मतदाता पहचान-पत्र को सपुष्ट प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। निवास स्थान बदलने की स्थिति में नए निवास स्थल की मौके पर पुष्टि की जाना आवश्यक होगी।

- (4) प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना का प्रचार-प्रसार, झुग्गी-झोपड़ी स्लम एरिया जहां कमजोर वर्ग के लोग निवास करते हैं, विशेष और व्यापक रूप से किया जाये।
- (5) आयोग के निर्देश हैं कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने अथवा विलोपित करने हेतु थोक में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार न किए जायें किन्तु यदि कहीं पूरा मोहल्ला अथवा गृह निर्माण सोसायटी या बहुमंजिले रिहायशी भवनों के पूरे मतदाता छूट गए हों तो प्रत्येक मतदाता द्वारा स्वयं भरे गए आवेदन संबंधित गृह निर्माण समिति, प्रबंध समिति, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/मोहल्ला समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कर सम्मिलित रूप से सीधे सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

उक्त निर्देशों का पालन कृपया सुनिश्चित किया जावे।

हस्ता./-

(अरूण तिवारी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

फोन नं. 0755-2555527.

सूचना फलक का प्रारूप

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची का पुनरीक्षण
<u>दावा आपत्ति प्राप्ति का केन्द्र</u>
वार्ड क्रमांक
प्राधिकृत कर्मचारी
किसी कठिनाई के निवारण के लिए निम्न से सम्पर्क करें:—
श्री सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
पदनाम दूरभाष

प्रकरणों के निराकरण की दैनिक सूचना का प्रारूप

क्रमांक	आवेदक का नाम	वार्ड क्रमांक	आवेदन का प्रकार दावा/आपत्ति/सुधार	आपत्ति से प्रभावित मतदाता का नाम एवं सूची क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	निर्णय
---------	--------------	------------------	---	---	-------------------	--------

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”
 58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)-462011

क्रमांक एफ-52-07-2009-तीन-832

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2009

प्रति,

राष्ट्रीय एवं
 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त
 राजनैतिक दल.
 (संलग्न सूची अनुसार)

विषय:—मतदाता सूची एजेन्टों की नियुक्ति के संबंध में।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2009 के लिये मतदाता सूची तैयार किये जाने का कार्यक्रम दिनांक 7 जुलाई 2009 को जारी किया गया है। नगरीय निकायों की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 1-10-2009 को नियत है तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 11-11-2009 को किया जाना निर्धारित है।

2. आयोग मतदाता सूचियों की तैयारी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की सहभागिता चाहता है जिससे मतदाता सूचियों की तैयारी में पारदर्शिता एवं यथार्थता रखने में सुविधा होगी। इस हेतु प्रारूप प्रकाशन पर मतदाता सूची की एक प्रति मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिले के अध्यक्ष/प्रभारी को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

3. आयोग का ऐसा अनुभव है कि प्रारूप मतदाता सूचियों के प्रकाशन पश्चात् राजनैतिक दलों द्वारा प्रारूप मतदाता सूचियों की विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने की दिशा में अपेक्षित सक्रियता समय रहते नहीं दिखाई जाती है। यह उल्लेखनीय है कि यदि प्रारूप मतदाता सूची की विसंगतियां समय रहते संबंधित अधिकारियों (ERO) के ध्यान में ला दी जाएं तो उन विसंगतियों का निराकरण मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पूर्व किया जा सकता है।

4. प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूचियों के संबंध में मैदानी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जानकारी प्राप्त कर प्रारूप मतदाता सूचियों को अद्यतन किये जाने की प्रक्रिया में सहभागिता हेतु आयोग द्वारा “मतदाता सूची एजेन्ट” नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी नियुक्ति प्राधिकृत कर्मचारियों के संदर्भ में होगी और जो एक वार्ड विशेष की मतदाता सूचियों के संदर्भ में जांच हेतु अधिकृत होगा।

5. आयोग के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल संलग्न निर्धारित प्रारूप में “मतदाता सूची एजेन्ट” नियुक्त कर सकेंगे। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने अध्यक्ष/सचिव/कार्यकारिणी सदस्य (Office bearer) के माध्यम से एक जिला प्रतिनिधि (district representative) को जिले में मतदाता सूची एजेन्टों की नियुक्ति हेतु अधिकृत कर सकेंगे। अधिकृत किये जाने के संबंध में प्रारूप-1 संलग्न है। जिला प्रतिनिधि द्वारा मतदाता सूची एजेन्टों के नियुक्ति पत्र इंक पेन/बॉल पेन से हस्ताक्षरित किए जाएंगे, हस्ताक्षर हेतु रबर स्टाम्प का उपयोग नहीं किया जाएगा।

6. शासकीय सेवक अथवा स्थानीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में कार्यरत कर्मचारी “मतदाता सूची एजेंट” के रूप में नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे।
7. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अधिकृत जिला प्रतिनिधि द्वारा मतदाता सूची एजेंट की नियुक्ति संलग्न निर्धारित प्ररूप-2 में की जायेगी. मतदाता सूची एजेंट अपना नियुक्ति पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा.
8. “मतदाता सूची एजेंट” मतदाता सूची के संबंध में दावे/आपत्तियां प्राप्त नहीं कर सकेगा। वह केवल एक मार्गदर्शक के रूप में मतदाताओं को निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करेगा।
9. मतदाता सूची एजेंट अपने अधिकारिता भाग में मृत एवं अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं की सूची प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित संलग्न प्ररूप 3 एवं 4 में प्रस्तुत कर सकेगा। संबंधित एजेंट को उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता के संबंध में एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई सूची उसकी जानकारी के आधार पर सत्य है। उक्त घोषणा के मिथ्या होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
10. मतदाता सूची एजेंट अपने अधिकारिता क्षेत्र में मतदाताओं को मतदाता सूची के प्रारूप के निरीक्षण हेतु प्रेरित करेगा तथा यथास्थिति मतदाता सूची में नाम संशोधन/विलोपन तथा स्थानांतरित किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी प्रकार “मतदाता सूची एजेंट” मार्गदर्शक के रूप में 18 वर्ष या उससे अधिक के मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित करेगा।
11. मतदाता सूची एजेंट अपरिहार्य स्थिति जैसे मृत्यु की स्थिति में ही बदला जा सकेगा. उनको बदले जाने की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया अनुसार ही होगी। अगर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नया “मतदाता सूची एजेंट” नियुक्त किया जाता है तो प्रारूप मतदाता सूची की वही प्रति उपयोग में लाई जाएगी. जो पूर्व में मतदाता सूची एजेंट की मान्यता प्राप्त दल द्वारा प्रदान की गई है।

प्रारूप मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित तैयार करने के संबंध में आपका सहयोग अपेक्षित है. इस संदर्भ में पार्टी द्वारा आवश्यक जानकारी तथा निर्देश संबंधित एजेंट को दिये जाना होंगे।

कृपया इस पत्र की अभिस्वीकृति भेजने का कष्ट करें।

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

दूरभाष क्रमांक 0755-2555527

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”
 58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)-462011

परिपत्र-4

क्रमांक एफ-52-06-2009-तीन-1045

भोपाल, दिनांक 14-10-2009

प्रति,

कलेक्टर एवं
 जिला निर्वाचन अधिकारी,
 (स्थानीय निर्वाचन)
 जिला-समस्त
 (म.प्र.)

विषय:—नगरीय निकायों की तैयार प्रारूप मतदाता सूचियों पर स्वप्रेरणा से संशोधन की कार्यवाही बावत्।

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2009 के लिये तैयार प्रारूप मतदाता सूचियों पर कतिपय मामले में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची में संशोधन किये जाने संबंधी कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त प्रावधान मतदाता सूची तैयार किये जाने की निर्देश पुस्तिका मई, 2009 संस्करण के अध्याय-5 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं कृपया निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

2. प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित अपात्र मतदाताओं के नाम निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विलोपन किया जाना है।

3. नगरीय निकाय क्षेत्र से अन्यत्र चले गये मतदाताओं और मृत मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज न हो इसका परीक्षण सूक्ष्मता से किया जाये ताकि शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो।

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

दूरभाष क्रमांक 0755-2555527

प्ररूप—1

मतदाता सूची एजेंट नियुक्ति हेतु

(देखें अध्याय-6)

राजनैतिक दल द्वारा पदधारी को प्राधिकृत किये जाने की सूचना
..... दल मध्यप्रदेश

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
स्थानीय निर्वाचन
जिला (म. प्र.)

विषय:—नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् मतदाता सूचियों की तैयारी हेतु मतदाता सूची एजेंट की नियुक्ति के संबंध में अधिकृत करने बाबत।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में मतदाता सूची एजेंट नियुक्त किये जाने हेतु पार्टी निम्नांकित को अधिकृत करती है:—

नामों की सूचना भेजने के लिए प्राधिकृत पदधारी का नाम (1)	दल की जिले इकाई में उसके द्वारा धारित पद का नाम (2)	जिला जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है (3)
--	--	---

2. ऊपर उल्लेखित व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं—

नाम	नमूना हस्ताक्षर
(1) श्री	(1)

भवदीय,
अध्यक्ष/सचिव/कार्यकारिणी सदस्य
हस्ताक्षर
दल का नाम

स्थान

तारीख (दल की मोहर)

प्ररूप-2

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के अधिकृत पदाधिकारी की ओर से मतदाता सूची
एजेंट नियुक्त किये जाने की जानकारी हेतु प्रपत्र

प्रति,

(1) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
स्थानीय निर्वाचन
जिला (म.प्र.)

विषय:—मतदाता सूची एजेंट नियुक्त किये जाने की सूचना के संबंध में।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों की तैयारी के कार्य में सहभागिता हेतु को वार्ड क्रमांक नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए मतदाता सूची एजेंट नियुक्त करता हूँ/करती हूँ तथा यह भी लेख करता हूँ/करती हूँ कि दल की ओर से क्षेत्र की मुद्रित मतदाता सूची की प्रति उन्हें उपलब्ध करा दी गई है।

मतदाता सूची एजेंट के लिये नियुक्त व्यक्ति का नाम क्षेत्र की मतदाता सूची क्रमांक पर दर्ज है।

नाम

नमूना हस्ताक्षर

(1) श्री

(1)

भवदीय,

हस्ताक्षर

जिला प्रतिनिधि, राजनैतिक दल

हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

दल की सील (पदमुद्रा)

प्ररूप-3

मृत मतदाताओं की जानकारी बाबत

नगरीय निकाय क्षेत्र का नाम

मतदाता सूची का भाग क्र.

मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि का सरल क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता के निवास का पता	मतदाता परिचय पत्र क्रमांक यदि जारी किया गया	जानकारी का स्रोत	टिप्पणी
--	------------------	------------------------------	--	---------------------	---------

मैं यह घोषित करता हूं / करती हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही हैं। मिथ्या जानकारी दिए जाने की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में वर्णित दण्डात्मक प्रावधानों का भी मुझे ज्ञान है।

(मतदाता सूची एजेंट के हस्ताक्षर)

दिनांक

पूरा नाम

दल का नाम

मतदाताओं के अन्यत्र चले जाने की जानकारी बाबत

नगरीय निकाय क्षेत्र का नाम

मतदाता सूची का भाग क्र.

मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि का सरल क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता परिचय पत्र क्रमांक यदि जारी किया गया	अन्यत्र चले जाने (पता जो ज्ञात हो) का उल्लेख	जानकारी का स्रोत
--	------------------	--	--	---------------------

मैं यह घोषित करता हूं / करती हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही हैं। मिथ्या जानकारी दिए जाने की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में वर्णित दण्डात्मक प्रावधानों का भी मुझे ज्ञान है।

(मतदाता सूची एजेंट के हस्ताक्षर)

दिनांक

पूरा नाम

दल का नाम

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
 “निर्वाचन भवन”
 58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)—462 011

क्रमांक एफ-70-27/2014/तीन/636

भोपाल, दिनांक 5-4-2014

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 (स्थानीय निर्वाचन)
 जिला-समस्त (म.प्र.).

विषय :—नगरपालिका आम निर्वाचन 2014 हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई चेक लिस्ट।

नगरपालिका आम निर्वाचन 2014 हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चेक लिस्ट तैयार की गई है। चेक लिस्ट में अंकित समयावधि में निर्वाचन संबंधी कार्य पूर्ण किए जाने हैं। इसी आधार पर आगे मॉनीटरिंग की जाएगी। अतः चेक लिस्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। मतदाता सूची तैयार किये जाने हेतु संलग्न चेक लिस्ट में कार्यवाही की समय-सीमा निर्धारित है। यह चेक लिस्ट सर्वसंबंधितों को भी उपलब्ध कराई जाए। यह भी आवश्यक है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994, आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश एवं निर्देश पुस्तिकाओं का भी अध्ययन किया जाए।

संलग्न—चेक लिस्ट।

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

पृ. क्रमांक एफ-70-27/2014/तीन/637

भोपाल, दिनांक 5-4-2014

प्रतिलिपि :

1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ आफीसर, माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
3. सचिव के निज सहायक, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
4. प्रभारी, आई. टी., मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।



नगरपालिका आम निर्वाचन 2014

(फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी के लिए)

चेक लिस्ट

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा जारी

जिला स्तरीय चेक लिस्ट

क्र.	कार्य की मद	दी गई समयावधि एवं कार्य को पूरा किया जाना (3)	किसके द्वारा (4)	रिमार्क (5)
1	नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन की जानकारी उपलब्ध कराई जाना।	शासन द्वारा निर्धारित तिथि तत्काल।	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	आयोग के पत्र क्रमांक एफ 70-22/08/तीन/1008, भोपाल, दिनांक 7-10-09।
2	सामान्य निर्वाचन शाखा से फोटोयुक्त मतदाता सूची की हाई कॉपी प्राप्त करना।	तत्काल	उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	
3	सामान्य निर्वाचन शाखा से प्राप्त निर्वाचन नामावली की जांच करना कि वे पूर्ण हैं और उनके प्रत्येक भाग, अनुक्रमांक के साथ अनुपूरक सूची संलग्न है तथा वह अद्यतन है।	प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के कार्यक्रम अनुसार।	उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	
4	मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में प्लान तैयार करना तथा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	तत्काल	उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	आयोग का पत्र क्रमांक एफ 85-3/96/न.प./3775, भोपाल, दिनांक 2-11-96 के अनुसार।
5	आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी होने के उपरांत अपीलीय अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति।	आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में उल्लेखित तिथि पर।	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा।	
6	नगरीय निकाय के अधिकारियों को मतदाता सूची कार्य में जवाबदार बनाने की दृष्टि से आदेश जारी किया जाना।	तत्काल	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	आयोग के ज्ञापन क्रमांक एफ 107-3/96/न.प./895, भोपाल, दिनांक 17 जून 1999 के अनुसार।
7	आधार पत्रक तैयार करने वाले कर्मचारियों एवं नगरपालिका के स्टाफ का विस्तृत प्रशिक्षण।	यथासमय	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा।	
8	वेण्डर के लिए जिला एवं तहसील पर व्यवस्था सुनिश्चित करना	यथासमय	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	शिफ्ट होने वाले मतदाताओं के संबंध में जानकारी एवं आधार पत्रक तैयार करना तथा एस.एल.ए. द्वारा नियुक्त वेण्डर को उपलब्ध कराना।	आयोग के कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा	
10	वेण्डर से डाटा इन्ट्री उपरांत प्राप्त चेक लिस्ट की जांच करना तथा प्राप्त त्रुटियों को वेण्डर को संसूचित करना।	यथासमय	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा।	
11	वार्डों में मतदाताओं की संख्या एक हजार से अधिक होने पर मतदाता सूची को भागों में बांटना।	प्रारूप मतदाता सूची तैयार होने पर।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा।	
12	जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी का गठन तथा बैठकों का आयोजन	मतदाता सूची तैयार किये जाने के कार्यक्रम जारी होने पर।	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	आयोग के पत्र क्रमांक एफ 70-26/04/तीन/ 680, भोपाल, दिनांक 7-8-2004 के अनुसार।
13	नगरीय निकायों की मतदाता सूची के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक ली जाकर मतदाता सूची एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधानों से अवगत कराना।	प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह पूर्व।	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 52-07/09/तीन/832, भोपाल, दिनांक 27-8-2009 के अनुसार।
14	दावे-आपत्तियां प्राप्त करने के उपयुक्त स्थानों का निरीक्षण और वहां पर आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्थाएं।	जारी मतदाता सूची कार्यक्रम अनुसार।	रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा।	
15	निरीक्षण केंद्रों पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों का चयन करना।	कार्यक्रम निर्धारित तिथि अनुसार होने पर।	रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा।	
16	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश का अनुमोदन जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जाना।	निर्धारित कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा।	
17	प्राधिकृत कर्मचारियों का विस्तृत प्रशिक्षण एवं उन्हें किट उपलब्ध कराना।	यथासमय	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा।	
18	वेण्डर से प्राप्त प्रारूप, मतदाता सूची को प्राधिकृत कर्मचारियों एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराना।	यथासमय	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	वेण्डर द्वारा किये जा रहे समस्त कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना।	यथासमय	जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा।	
20	प्रारूप मतदाता सूची का निर्धारित स्थान पर प्रकाशन	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा।	
21	दावे-आपत्ति प्राप्त केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना केन्द्रों का सतत निरीक्षण तथा प्राधिकृत कर्मचारियों को आने वाली कठिनाइयों का निदान।	यथासमय	उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा।	
22	दावे-आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को प्रारूप भरने में सहायता करना।	यथासमय	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा।	
23	दावे-आपत्तियों के संबंध में दावेदार या आपत्तिकर्ता को आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना प्रदान करना।	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
24	प्रतिदिन दावे-आपत्तियों का दैनिक विवरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।	कार्यक्रम अनुसार	प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा	
25	प्रत्येक दावे तथा आपत्तियों के संबंध में जांच की जाकर अपना प्रतिवेदन अंकित करना।	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
26	प्रतिदिन पूर्वान्ह में गत दिवस से संबंधित समस्त दावे-आपत्तियों को दैनिक विवरण सहित कार्यालय में प्राप्त करने की व्यवस्था।	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
27	मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं जिला रजिस्ट्रार (पंजीकरण) से विगत कैलेण्डर वर्ष में पंजीकृत मृतकों की जानकारी प्राप्त की जाना।	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
28	स्वप्रेरणा के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं जारी किया जाना।	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
29	प्राधिकृत कर्मचारियों से प्राप्त दैनिक विवरण को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराना।	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	प्राप्त दैनिक विवरण से प्रकरण रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित करना।	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
31	प्ररूप ग में प्राप्त आपत्तियों के माध्यम से तामीली रसीद को प्रकरण से संबंधित अभिलेख में संधारित किया जाना।	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
32	सभी दावे-आपत्तियों का नियमित रूप से निपटारा एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित तारीख तक आवश्यक रूप से निराकरण।	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
33	समस्त परिवर्धन, वाडों का नजरी नक्शा एवं संशोधन सूचियों को एस.एल.ए. द्वारा नियुक्त वेण्डर को उपलब्ध कराना।	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
34	एस.एल.ए. से प्राप्त चेक लिस्ट की जांच उपरांत उसको वापस करना।	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
35	एस.एल.ए. को वेण्डर से अंतिम मतदाता सूची प्राप्त करना तथा उसका प्रकाशन।	आयोग द्वारा घोषित तिथि पर	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
36	अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराना एवं अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची का सेट जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराना।	आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
37	वेण्डर से पी.डी.एफ. फॉर्मेट में डी.व्ही.डी. प्राप्त करना।		रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
38	अपीलीय अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध कराना।	मांग करने पर तत्काल	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
39	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी को सुनवाई के अवसर देना।	कार्यक्रम अनुसार	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	
40	संक्षिप्त जांच के उपरांत समुचित आदेश पारित करना	सुनवाई पश्चात्	अपीलीय अधिकारी	
41	अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का परिपालन सुनिश्चित किया जाना।	मतदाता सूची	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा	